



कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग

क्रमांक/आ.प्र.एवं सहा/2026/

दिनांक:-

श्रीमान् शासन उप सचिव

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

जयपुर

विषय:- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंग:- आपका पत्रांक राजकाज संदर्भ संख्या 23789511 दिनांक 04.08.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्रानुसार NDMA-NDRF की संयुक्त टीम द्वारा राज्य में आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया (Disaster Preparedness & response) की समीक्षा की जानी प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित है:-

1. वर्ष 2025 एवं 2026 में आयोजित DDMA बैठकों की तिथि एवं संख्या

क्र.स.	वर्ष	बैठक दिनांक	बैठक कुल संख्या
1.	2025	27.05.2025 30.05.2025 16.09.2025 06.10.2025	04
2.	2026	17.04.2026 08.06.2026	02

2. DDMA-2026 की वर्तमान स्थिति (Updated/Under Revision/Approved):- Updated

DDMA-2026 की सॉफ्ट कॉपी सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त सादर प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग

Signature valid

Mail ID:- Dmdeeg@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
23980590

M e-Sign



Digitally signed by Raj Kumar Kaswa
Designation : Addl Collector And
Addl District Magistrate
Date: 2026.08.12 15:05:58 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग
(राजस्थान)



जिला आपदा प्रबंधन योजना

DDMP 2026

जिला डीग
(राजस्थान)



तैयारी



तत्परता



न्यूनीकरण



पुनर्प्राप्ति



जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डीग

— कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग (राजस्थान) —



05641294005



dmdeeg@rajasthan.gov.in

प्रस्तावना

डीग जिला समय समय पर विभिन्न आपदाओं से ग्रस्त रहा है। भौगोलिक रूप से जिले की भू आकृति कटोरेनुमा है तथा वर्षा होने पर पानी का सही ढंग से निकास नहीं हो पाता है तथा पानी निचले क्षेत्रों में भर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिले को इस राज्य व अन्य राज्य के जिलों को जोड़ने के कारण भारी मात्रा में यातायात रहता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। यह जिला भूकम्प के लिए भी संवेदनशील है।

इस कंटीजेन्सी प्लान में सामान्य रूप से होने वाली आपदाओं की पहचान करने के साथ ही बाढ़ आपदा आने से पूर्व की तैयारियों, आपदा के घटित होने के दौरान की कार्यवाहियों में प्राथमिक आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियों का निर्धारण व कार्यों का बंटवारा सरकार व जनता के पास उपलब्ध संसाधन जिनका उस समय लोगों की जान माल की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सके, संकलित किया गया है।

1.1 कार्य योजना की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार की आपदाओं का विश्लेषण कर उनके बचाव व दुर्घटना के होने वाले प्रभाव को कम करने तथा दुर्घटना घटित हो जाने पर खतरे के प्रभाव को कम कर जन माल की क्षति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करना।

1.2. कार्ययोजना के उद्देश्य

- जिले में विभिन्न आपदाओं के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कर पूर्व तैयारी अनुसार जान माल की क्षति को कम करना।
- समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढ़ाना।
- आपदा नियंत्रण में मूलभूत संसाधन के स्तर का पता लगाकर कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखना।
- आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं का क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकास योजना में समावेश करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन यंत्र बनाना।
- संभावित आपदाओं का विवरण, अभिलेखन रखना व उनके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा के आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और किसी अन्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है को बिल्कुल नकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति आवश्यक है। जिसके कार्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(क) प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदारी विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।

(ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों में पारस्परिक समन्वय बनाना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना।

1.3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन

प्राधिकरण गठित है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष जिला परिषद	सह-अध्यक्ष
3.	अति. जिला कलक्टर	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (4) में प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डनायक इस जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो जिले की जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु उत्तरदायी हैं।

अधिनियम की धारा 31 अनुसार प्रत्येक जिले के लिये जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श उपरान्त जिला आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार की जाती है, जिसका अनुमोदन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से करवाने के पश्चात् राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है तथा प्रतिवर्ष जिला आपदा प्रबन्धन योजना को प्राधिकरण द्वारा पुनर्वलोकन एवं अद्यतन किया जाता है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में आपदा की स्थिति में सभी महत्वपूर्ण विभागों के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य हैं, जिनके विभागानुसार दायित्व निर्धारित हैं।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

धारा 25— जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनाधिक उतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

(क) जिले का यथास्थिति कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य ।

(घ) पुलिस अधीक्षक — सदस्य ।

(इ) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी— सदस्य ।

(च) दो से अधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को जो यथास्थिति अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्योजित किया जाये, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

धारा 26 – जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां ।

(1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला प्राधिकरणों के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वाहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करें।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को आपात की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा।

(3) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा यथा स्थित, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्यों जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 28 – सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन ।

(1) जिला आपदा प्राधिकरण, जब भी वो आवश्यक समझे अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

धारा 29 – जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।

राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 30— जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकायत

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :—

- (i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- (ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनीटर करना।
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि आपदाओं के निवारण उसके प्रभावों के समय तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।
- (v) जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों की आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश देना, जो आवश्यक हों।
- (vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना।
- (vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना।
- (viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकेगा।
- (•) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके अन्वयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।
 - (•) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।
 - (•) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।
 - (•) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के शिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा।
 - (•) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा।
 - (•) जनका को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।
 - (•) जिला स्तर मोचन योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

- (•) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा। यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।
- (•) जिला स्तर पर संबंधित सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत कर सकेगा या उन्हें निर्देश दे सकेगा।
- (•) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों, और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा।
- (•) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्पर से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा।
- (•) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।
- (•) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

धारा 31— जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी।

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील है।

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी उपाय।

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों—

(i) जिला स्तर की सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आवंटन

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत,

(iii) आवश्यक संसाधनों का भण्डारण ।

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना, और

(v) जनता को सूचना का प्रसार ।

(ड) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा(4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) जिला प्राधिकरण समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

धारा 41 –स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य ।

(1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थानों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि ये किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अभिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

धारा 44 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

(1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंधन भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं।

धारा 45—नियंत्रण, निर्देशन

बल का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा। उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उसका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

धारा 46 —राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि ।

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे।

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रदान करें।

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदशक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

धारा 51—अपराध और शास्तियां (Penalties and Prosecution)

बाधा डालने आदि के लिए दंड।

जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी और से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 52 —मिथ्या दावे के लिए दंड।

जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने को उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 53 – धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड।

जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 54 – मिथ्या चेतावनी के लिए दंड।

जो कोई जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा।

धारा 55— सरकार के विभागों द्वारा अपराध ।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहा विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

धारा 56— अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता।

ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं की उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी को अभिव्यक्त

अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के धन के प्रति मौनानुकूलता ।

ई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं की उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी को अभिव्यक्त

लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

धारा 57— अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध ।

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी या नियमित निकाय द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार को संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे, और तदनुसार आने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे। परन्तु इस इसउपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में संबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

अध्याय-2

जिले की भौगोलिक स्थिति :-

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2156.33 वर्ग किलोमीटर है तथा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 1.85 लाख हैक्टेयर हैं। जिले का भौगोलिक धरातल कटोरेनुमा है तथा वार्षिक औसत वर्षा 558 मि.मी. है। जिले के अधिकांश भू-भाग में भूमि जल खारी है एवं अधिकांश भू-भाग क्षारीय है। जहाँ जिले की डीग मैदानी व समतल है, डीग व डीग उपखण्डों की भूमि उपजाऊ है और यह क्षेत्र सामान्यतः समतल है। जिले की प्रमुख नदी रूपारेल है। यह बरसीती नदी हैं। सामान्यतः यह क्षेत्र मैदानी, मैदानी वन प्रदेश व विभक्त पहाड़ियों से युक्त है।

डीग जिले में अनूठी जल प्लावन सिंचाई प्रणाली विद्यमान है जिसका निर्माण रिसायत काल में तत्कालीन शासकों द्वारा इस क्षेत्र से बह रही वर्षाकालीन नदियों के पानी को पेयजल एवं जल प्लावन सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बाढ़ नियन्त्रण किए जाने हेतु कराया गया था। जिले में विद्यमान सिंचाई प्रणाली मुख्यतः गुडगांव मुख्य नहर पर निर्मित हैं।

2.1 प्रशासनिक ढांचा

डीग जिला प्रशासनिक दृष्टि से डिविजनल कमिश्नर भरतपुर के अधीन है। जिले के उपखण्ड, तहसील व नगरों के अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

उपखण्ड	तहसील	पंचायत समिति	ग्रामों की संख्या			जनसंख्या 2011
			आबाद	गैर आबाद	कुल योग	
6	9	5	666	46	712	1072755

विकास कार्यों के लिए जिले के क्षेत्र का विभाजन 05 पंचायत समितियों में किया गया है। पुलिस प्रशासन हेतु पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय कार्यरत है।

2.2 भौतिक स्थिति

डीग जिला राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला भरतपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। डीग की औसत ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 174 मीटर (570 फीट) है। डीग जिले की जलवायु अर्ध-शुष्क है, जहाँ गर्मी के मौसम में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और सर्दी के मौसम में तापमान काफी गिर जाता है। यहाँ की जलवायु निम्नलिखित प्रकार की होती है:

गर्मी: मार्च से जून तक चलती है, इस दौरान तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है।

मानसून: जुलाई से सितंबर तक रहता है, इस दौरान औसत वर्षा होती है, जिससे कृषि को लाभ होता है।

सर्दी: अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

नदी और जल स्रोत

डीग जिले में प्रमुख जल स्रोतों में कृत्रिम झीलें और तालाब शामिल हैं। प्रमुख झीलें और जलाशय निम्नलिखित हैं:

- गोपाल सागर: यह एक प्रमुख जलाशय है जो डीग महल के पास स्थित है।
- रूप सागर: यह भी एक महत्वपूर्ण झील है जो महल की सुंदरता को और बढ़ाती है।

भू-आकृतिक विशेषताएँ

डीग की भू-आकृतिक विशेषताएँ इसमें स्थित तालाब, झीलें, और बगीचों के कारण महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की भूमि आमतौर पर उपजाऊ है और कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रमुख फसलें गेहूँ, बाजरा, सरसों, और सब्जियाँ हैं।

वनस्पति और जीव-जंतु

डीग जिले में वनस्पति और जीव-जंतुओं की विविधता पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में शीशम, बबूल, और नीम के पेड़ शामिल हैं। जीव-जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पक्षी, हिरण, और अन्य छोटे स्तनधारी शामिल हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य की निकटता के कारण यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं।

पर्यटन स्थल

डीग अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं:

- डीग महल: अपने जल महलों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध।
- बृज क्षेत्र: डीग जिला बृज 84 कोस परिक्रमा में भी सम्मिलित है एवं धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है।
- फव्वारे और उद्यान: ये महलों की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष

डीग जिला अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की भौतिक स्थिति, समृद्ध इतिहास, और प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटन और अध्ययन दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है।

डीग जिले की भौतिक स्थिति का यह विवरण इस क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं, प्राकृतिक संसाधनों, और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।



2.3 जलवायु

डीग जिले का जलवायु

डीग जिला राजस्थान के भरतपुर जिले के समीप स्थित है और यह क्षेत्र अपनी विशेष जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु को तीन प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु।

1. ग्रीष्म ऋतु (मार्च से जून)

ग्रीष्म ऋतु में डीग में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अप्रैल और मई सबसे गर्म महीने होते हैं। गर्म हवाएँ, जिन्हें 'लू' कहा जाता है, इन महीनों में आम होती हैं और इनसे बचाव के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है।

2. वर्षा ऋतु (जुलाई से सितंबर)

वर्षा ऋतु में मानसून के आगमन के साथ ही डीग में वर्षा शुरू होती है। इस अवधि में मध्यम से भारी बारिश होती है, जो क्षेत्र की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। औसतन, डीग में 600–650 मिमी तक वार्षिक वर्षा होती है। मॉनसून की बारिश से यहाँ के जलाशयों और तालाबों में जल स्तर बढ़ता है।

3. शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी)

शीत ऋतु में डीग का मौसम ठंडा और सुखद होता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब तापमान 5–7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सर्दियों में हल्की से मध्यम ठंड और कभी–कभी धुंध (कोहरा) भी देखने को मिलता है।

निष्कर्ष

डीग की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु की श्रेणी में आती है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, मॉनसूनी वर्षा और ठंडी सर्दियाँ होती हैं। यहाँ का मौसम कृषि, पर्यटन और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, और इस कारण स्थानीय लोग विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी जीवनशैली में बदलाव करते हैं।

2.4 डीग जिला आंकड़ों की दृष्टि से

क्र० सं०	मद	इकाई	विवरण
	क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी.	2145.13 वर्ग किमी.
1.	जनसंख्या जन गणना 2011 के अनुसार		
	पुरुष	संख्या	566335
	महिला	संख्या	506420
	योग	संख्या	1072755
2.	जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या		
	पुरुष	संख्या	86883
	महिला	संख्या	76326
	योग	संख्या	163209
3.	जन गणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या		
	पुरुष	संख्या	5658
	महिला	संख्या	5011
	योग	संख्या	10669
4.	जन गणना 2011 के अनुसार शहरी/ग्रामीण की कुल जनसंख्या		
	ग्रामीण	संख्या	940604
	शहरी	संख्या	132151
	योग	संख्या	1072755

5.	जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	500.11
6.	कुल साक्षरता प्रतिशत	प्रतिशत	569821 (65.19)
	पुरुष	प्रतिशत	370072 (80.33)
	महिला	प्रतिशत	199749 (48.31)
7.	एक हजार पुरुषों पर स्त्री	हजार	894.2
8.	जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर (2001–2011)	प्रतिशत	1072755–871294 =201461(23.12 प्रतिशत)
9.	प्रशासनिक ढांचा		
	उपखण्ड	संख्या	6
	तहसील	संख्या	9
	उपतहसील	संख्या	3
	पंचायत समिति	संख्या	5
	ग्राम पंचायत	संख्या	185
	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संख्या	712
	जिले में आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	666
	जिले में गैर आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	46
	पटवार मण्डल	संख्या	242
	नगर निगम	संख्या	0
	नगर पालिका	संख्या	4
	कुल विधानसभा क्षेत्र	संख्या	3
	कुल सांसद क्षेत्र	संख्या	0
10.	कृषि		
	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	हैक्टेयर	204857
	वन क्षेत्र	हैक्टेयर	4402
	कृषि अयोग्य भूमि	हैक्टेयर	20410
	स्थाई एवं अन्य चारागाह	हैक्टेयर	1794
	विविध वृक्ष एवं वृक्ष निकुंज	हैक्टेयर	27
	कृषि अयोग्य भूमि पडत एवं बंजर सहित	हैक्टेयर	6627
	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	हैक्टेयर	110546

	कुल बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	183063
	औसत वर्षा	एम.एम.	598.2
11.	पशुधन		
	पशु चिकित्सालय	संख्या	38
	पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	124
	कुल पशुधन	संख्या	443250
	गाय	संख्या	102939
	भैंस	संख्या	340295
	कुक्कुट	संख्या	161029
	अन्य	संख्या	1508
12.	उद्योग		
	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाने	संख्या	9
	पंजीकृत कारखानों में औसत दैनिक श्रमिक	संख्या	191
13.	ऊर्जा		
	विद्युतिकृत कस्बे	संख्या	5
	विद्युतिकृत गांव	संख्या	699
	कुल शक्ति का उपयोग	लाख यूनिट	5218.63
	घरेलू उपयोग	लाख यूनिट	1416.64
	व्यावसायिक उपयोग	लाख यूनिट	286.29
	औद्योगिक उपयोग	लाख यूनिट	533.51
	सार्वजनिक उपयोग	लाख यूनिट	27.5
	सिंचाई में उपयोग	लाख यूनिट	2825.11
	सार्वजनिक जलदाय	लाख यूनिट	124.82
	अन्य उपयोग	लाख यूनिट	4.76
14.	शिक्षा		
	कुल विद्यालय	संख्या	786
	कुल छात्र विद्यालय	संख्या	753
	कुल छात्रा विद्यालय	संख्या	33
	प्राथमिक विद्यालय	संख्या	281
	प्राथमिक छात्र विद्यालय	संख्या	281
	प्राथमिक छात्रा विद्यालय	संख्या	0

	उच्च प्राथमिक विद्यालय	संख्या	211
	उ० प्रा० छात्र विद्यालय	संख्या	195
	उ० प्रा० छात्रा विद्यालय	संख्या	16
	माध्यमिक विद्यालय	संख्या	0
	माध्यमिक छात्र विद्यालय	संख्या	0
	माध्यमिक छात्रा विद्यालय	संख्या	0
	उच्च माध्यमिक विद्यालय	संख्या	294
	उ० मा० छात्र विद्यालय	संख्या	277
	उ० मा० छात्रा विद्यालय	संख्या	17
	कुल नामांकन (1से 8)	संख्या	31518
	कुल नामांकन (9से 12)	संख्या	57878
15.	स्वास्थ्य		
	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	संख्या	49
	ऐलोपैथिक चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या	संख्या	909
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	34
	उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	198
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	14
16.	आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय	संख्या	3 चिकित्सालय, 49 औषधालय 52 कुल 15 शैया
	बैंकिंग		
	व्यावसायिक बैंक	संख्या	46
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	13
	कॉपरेटिव बैंक	संख्या	4
17.	भूमि विकास बैंक	संख्या	4
	सहकारिता		
	सहकारी संस्था	संख्या	586
	सदस्य	संख्या	75455
18.	दुग्ध उत्पादक समितियां	संख्या	116
	पुलिस		
	सर्किल (वृत्त)	संख्या	4
	पुलिस थाना	संख्या	13

पुलिस चौकी	संख्या	23
कारागृह	संख्या	1

2.5 स्वायत्त शासन —

जिले में 1 नगर परिषद् तथा 5 नगरपालिका हैं। नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान व कर तथा खर्च की मुख्य मदें सार्वजनिक प्रकाश व जलप्रदाय, जल निकास, सफाई व स्वच्छता, मरम्मत व निर्माण कार्य आदि है।

2.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

डीग जिला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक जीवन को दर्शाती हैं।

सामाजिक गतिविधियाँ

मेलों और उत्सवों का आयोजन:

गंगा दशहरा मेला: यह मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है यह मेला जिले के उपखण्ड कामां में आयोजित होता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं, डीग का होली महोत्सव: रंगों और फूलों की होली के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्सव सामाजिक मेल-जोल और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है।

सामुदायिक आयोजन:

गाँवों और कस्बों में विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन होते हैं, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, विवाह समारोह, धार्मिक उपदेश, और विभिन्न सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम:

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए विशेष कार्यशालाएं और कार्यक्रम होते हैं।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

नृत्य और संगीत:

राजस्थानी लोक नृत्य: घूमर, कालबेलिया और चकरी जैसे लोक नृत्य यहां के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं।

लोक संगीत: राजस्थानी लोक गीत, भजनों और भोपों के गायन का आयोजन होता है, जो स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है।

हस्तशिल्प और कारीगरी:

डीग में पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी का विशेष महत्व है। स्थानीय कारीगर अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हैं।

मिट्टी के बर्तन का काम यहां की विशेषताएं हैं।

नाट्य प्रस्तुतियाँ:

लोककथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

धार्मिक अनुष्ठान और पर्व:

विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पर्व जैसे दिवाली, तीज, गणगौर, और मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं।

मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन होता है।

डीग जिले की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक जीवन को दर्शाती हैं। यहां के उत्सव, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, और धार्मिक आयोजन न केवल स्थानीय लोगों को एकजुट रखते हैं, बल्कि बाहरी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। डीग की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहां की पारंपरिक और आधुनिक जीवनशैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती हैं।

2.7 पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटक आकर्षण के स्थान

डीग जिला राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह जिला अपने भव्य महलों, किलों और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ पर्यटक आकर्षण भी डीग को विशेष बनाते हैं।

ऐतिहासिक महत्व के स्थल

डीग महल:

विवरण: डीग महल, जिसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है, अपने भव्य फव्वारों, जलाशयों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण 1772 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था।

विशेषताएँ: महल में गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन, और सुरज भवन मुख्य आकर्षण हैं। यहां के फव्वारे और बगीचे बेहद सुंदर और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

किला डीग:

विवरण: डीग का किला, जिसे महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, एक मजबूत और भव्य किला है जो रक्षात्मक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

विशेषताएँ: किले में स्थित विशाल प्राचीरें, बुर्ज और गढ़ियां इस किले की मजबूती और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं।

पर्यटक आकर्षण

गोपाल सागर और रूप सागर:

विवरण: ये कृत्रिम झीलें डीग महल के पास स्थित हैं और इनका निर्माण जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से किया गया था।

विशेषताएँ: इन झीलों के किनारे सुंदर बगीचे और फव्वारे स्थित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

फव्वारों का उद्यान:

विवरण: डीग महल परिसर में स्थित फव्वारों का उद्यान अपने शानदार जल क्रीड़ा और मनोहारी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।

विशेषताएँ: यहाँ के फव्वारे विभिन्न आकारों और डिजाइनों के हैं जो देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक हैं।

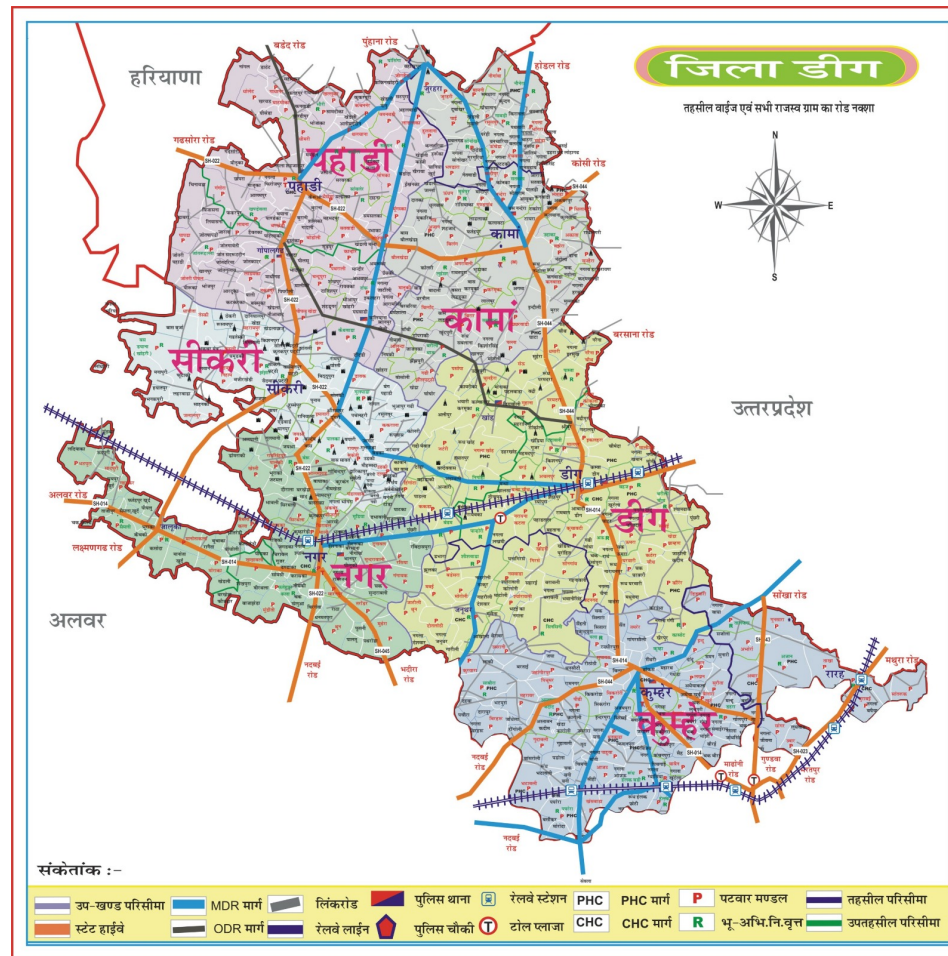
संग्रहालय:

विवरण: डीग महल के अंदर एक संग्रहालय भी स्थित है जहाँ विभिन्न पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्त्र, शस्त्र और कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

विशेषताएँ: यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

डीग जिला अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों और आकर्षक पर्यटन स्थलों के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहां की भव्य वास्तुकला, सुंदर बगीचे, और ऐतिहासिक किलों और महलों की समृद्ध धरोहर डीग को विशेष बनाती है। पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए डीग एक अविस्मरणीय गंतव्य है, जहाँ वे राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का आनंद ले सकते हैं।

2.8 डीग जिले का नक्शा



2.9 जलवायु संबंधी आपदा

डीग जिला समय समय पर विभिन्न जलवायु संबंधी आपदाओं से ग्रस्त रहा है। कई बार जिले को बाढ़ जैसे हालातों से जूझना पड़ता है जिसमें जान तथा माल की अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है भौगोलिक रूप से जिले की भू आकृति कटोरेनुमा है तथा वर्षा होने पर पानी का सही ढंग से निकास नहीं हो पाता है, जिसमें पानी निचले क्षेत्रों में भर जाता है। कई बार जिले ने सूखा का सामना किया है। इनके दुष्प्रभाव से कृषि उत्पादन, पशुपालन एवं मानव के लिए भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ता है तथा अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। प्राकृतिक आपदाओं से बचा तो नहीं जा सकता परन्तु इनके पूर्वानुमान एवं सजगता बरती जावे तो इसके प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है।

प्रकृति द्वारा सृजन और संहार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। लोगों द्वारा प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने से प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं। मानव का जीवन प्रारम्भ होने से विकास की गति प्रारम्भ हुई है जो निरन्तर चलती रही है। आपदाओं से बचने के लिये संपत्ति के बचाव के लिये ग्रामीण जनों एवं विद्वानों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर आपदाओं की पहचान व उनसे बचाव के उपाय खोजे हैं जो आपदा से बचने का प्रथम उपाय है।

जिले में वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति

डीग जिले की वार्षिक औसत वर्षा 558 मिलीमीटर है जिले में बहकर आने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की स्थिति में जिला बाढ़ की चपेट में आता रहा है। यहाँ प्रत्येक दशक में एक दो बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1956, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1995, 1996, 1998, 2003 एवं 2016 में जिला, मध्यम से भारी बाढ़ों से प्रभावित होता रहा है। अंतिम दो दशकों में आई बाढ़ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ष	वर्षा सत्र के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. में	जिले की औसत वर्षा मि. मी. में	बाढ़ की स्थिति
1	1996	1036 दिनांक 23-24 जून को कामां-नगर क्षेत्र में मात्र 36 घण्टे में 536 मि.मी. अतिवृष्टि हुई		बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
2	1997	502		सामान्य से कम
3	1998	915		आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई।
4	1999	480		सामान्य से कम
5	2000	389		सामान्य से कम
6	2001	535		सामान्य से कम

7	2002	290	558.65 (वर्ष 1996 से 2025 तक औसत वर्षा)	सामान्य से कम
8	2003	716		आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
9	2004	403		सामान्य से कम
10	2005	661		सामान्य से कम
11	2006	316		सामान्य से कम
12	2007	394		सामान्य से कम
13	2008	758		सामान्य से अधिक
14	2009	483		सामान्य से कम
15	2010	697		सामान्य से अधिक
16	2011	671.05		सामान्य
17	2012	682.73		सामान्य
18	2013	547.84		सामान्य से कम
19	2014	449.89		सामान्य से कम
20	2015	419.97		सामान्य से कम
21	2016	685.00		सामान्य आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
22	2017	305.00		सामान्य से कम
23	2018	679.00		सामान्य
24	2019	462.80		सामान्य से कम
25	2020	413.37		सामान्य से कम

26	2021	569.23		सामान्य से अधिक
27	2022	600.16		सामान्य से अधिक
28	2023	571.47		सामान्य से अधिक
29	2024	867.46		सामान्य से अधिक
30	2025	759.77		सामान्य से अधिक

3.1 संभाग स्तरीय जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के दायित्वों के निर्वहन के मद्देनजर जिला आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष हेतु जिला कलक्ट्रेट में EOC को तैयार करवाया गया है। यह केन्द्र आपदा से पीड़ित लोगों के लिए राहत पहुंचाने हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने तथा तत्काल राहत पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। यह केन्द्र आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन कार्य करेगा तथा राज्य सरकार को सूचना सम्प्रेषण का कार्य भी करेगा।

3.2 तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना

जिले के सभी 9 तहसील मुख्यालयों पर आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है, जो 24X7 संचालित है।

3.3 जिला स्तरीय संस्थानिक व्यवस्था

आपदा प्रबन्धन में भागीदार संस्थानों के बहुत स्तर शामिल होते हैं। राज्य, जिला तथा आपदा स्थल तीन केन्द्रीय स्तर होते हैं। राज्य स्तरीय संस्थान नीति निर्णय स्रोत का निर्धारण, कार्यों की प्राथमिकता, बजट निर्धारण तथा आपात संचालन द्वारा प्रशिक्षण का कार्य करेगी।

3.4 जिला कलक्टर की भूमिका

जिला कलक्टर निम्नलिखित के लिये जिम्मेदार होंगे :-

1. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मदद से जिला आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करना, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना, क्षेत्र में दिशा की जिम्मेदारी जिला स्तरीय संस्था पर होगी, जो अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से चेतावनी से राहत तथा पुर्नवास का कार्य करेगी। आपदा प्रबंधन के लिये विशिष्ट कार्य आपदा स्थल पर होंगे। जिला कलक्टर, जिला नियंत्रण कक्ष का प्रमुख अंग होगा।
2. कलक्टर, ई.ओ.सी. की सहायता से कार्य करेगा।
3. स्थल प्रबंधक इ.ओ.सी. का प्रधान होगा।
4. स्थल संचालन केन्द्र जिला नियंत्रण केन्द्र को सूचना देगा।
5. कलक्टर क्षेत्र की प्रतिक्रिया का समन्वय करेगा, जिसमें तहसील स्तर पर सहायता/राहत शिविर तथा पशु शिविर की स्थापना करना, शामिल होगा।
6. डेस्क व्यवस्था, कार्यों का विभाजन, सूचना इकट्ठा करना तथा रिकार्ड संग्रह करना, जिसमें डेस्क अधिकारी की जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रति जबाबदेही होगी। प्रत्येक डेस्क पर एक डेस्क अधिकारी नियुक्त होगा। सूचना के आवागमन एवं प्रबंधन की व्यवस्था होगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।

आपदा की आशंका का पुर्नवलोकन करना।

आपदा से जिले की असुरक्षा का अवलोकन करना।

तैयारियों का जायजा लेना।

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निम्न सदस्य होंगे :-

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, जिला परिषद	सह-अध्यक्ष
3	अति. जिला कलक्टर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 25 (4) में प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डनायक, इस जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष

जिला कलक्टर के नियंत्रण में जिला नियंत्रण कक्ष की निम्न जिम्मेदारी होंगी :

- मानिट्रिंग करना।
- समन्वय करना।
- आपदा प्रबंधन के कार्यों को लागू करना।
- आपदा काल में जिला कलक्टर, मुख्य अधिकारी होगा, जो अपने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग, किसी भी विभाग को आपातकालीन सेवा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

सामान्य स्थिति के कार्य

- यह सुनिश्चित करना कि सभी चेतावनी देने वाले यंत्र कार्य करने की स्थिति में हैं।
- जिले के विभागों से नियमित रूप से तहसील तथा गांव की आपदा से असुरक्षा की सूचना एकत्रित करना।
- जिला कलक्टर, सभी विभागों से तैयारियों की सूचना प्राप्त करेगा और उसे आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, संभागीय आयुक्त तथा इमरजेंसी ऑपरेशन केन्द्र को प्रेषित करेगा।
- जिले की बदलती परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन योजना को अपडेट करना। डाटा बैंक को अपडेट करना, स्रोतों की सूची को टेबिल एक की तरह तैयार करना। आपात कालीन सूचना, जिला आपदा केन्द्र को देना।
- तैयारियों का जायजा लेना, प्रशिक्षण कार्य तथा अभ्यास करवाना।
- डी.डी.एम.पी. का जिला स्तर पर तथा आपदा केन्द्र पर ठीक से लागू करना।

- आपदा के बाद परिस्थिति का जायजा लेना ।

जिला स्तर पर आपदा की सूची तैयार करना तथा इसको इमरजेन्सी केन्द्र को भिजवाना। इस सूचना में निम्न बिन्दु होंगे :-

1. आपदा का प्रकार व स्रोत
2. आपदा आने पर की गई प्रतिक्रिया की कोशिश का व्याख्यान
3. आपदा का न्यूनीकरण तथा रोकने के उपायों की सिफारिश करना
4. संकटकालीन तैयारियाँ तथा प्रतिक्रिया की योजना तैयार करना

3.5.1 आपदा के समय / घटने की स्थिति में चेतावनी

संबंधित आपदा स्थल की सूचना या सक्षम संस्थाओं की चेतावनी या इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र की सूचना या चेतावनी के आधार पर जिला कलक्टर की सभी शक्तियाँ तथा जिम्मेदारी का उपयोग करेगा।

जिला प्रशासन की चेतावनी तथा सावधानी जारी करने वाली मुख्य संस्था होगी। इसके अलावा संबंधित सक्षम संस्थानों की सूची निम्न है :-

आपदा	संस्था
बाढ़	जल संसाधन विभाग/मौसम विभाग
तूफान	जिला प्रशासन
महामारी	स्वास्थ्य विभाग
सड़क दुर्घटना	पुलिस एवं चिकित्सा विभाग
इण्डस्ट्रीय तथा रासायनिक दुर्घटना	उद्योग एवं चिकित्सा विभाग
आग	फायर ब्रिगेड, नगर परिषद्, डीग

3.6 आपदा घटना या चेतावनी की सूचना निम्न को प्रेषित होगी :-

1. मुख्य सचिव,
2. इमरजेन्सी ऑपरेशन सेंटर, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त कार्यालय
4. सभी जिला स्तरीय अधिकारी, नगर परिषद्, / नगरपालिका
5. जिले में काम करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी
6. जिला कलक्टर, जिला नियंत्रण कक्ष को जिला आपदा प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे।
7. जिला नियंत्रण कक्ष, डेस्क व्यवस्था तक फैल जावेगी।
8. जिला स्तरीय कर्मचारी, जिला आपदा प्रबंधक के दिशा निर्देशों में तथा उसके अधीन कार्य करेंगे।

इसमें निम्न विभागों के जिला स्तरीय कर्मचारी होंगे :-

जिला परिषद, नगर निगम, डिस्कॉम, पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई, जिला उद्योग केन्द्र, दूरसंचार

- उपरोक्त सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियाँ स्वतः ही जिला आपदा प्रबंधक द्वारा रद्द कर दी जावेगी। और संस्था अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने का आदेश जारी करेगा।
- सहायक आयुक्त / सचिव प्रकृतिक आपदा कोष से सभी प्रभार के अनुदान जारी करने में सक्षम होगा। सहायता आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि एडीक्यूट अनुदान कलक्टर के पास उपलब्ध होगा, इसकी कमी से आपदा सहायता में बाधा आयेगी।
- बहुत बड़ी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधक स्थानीय रक्षा इकाई की सहायता लेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक के पास निजी क्षेत्र के यंत्र रिर्सास लेने का अधिकार होगा। जिला आपदा प्रबंधक को उद्योग इकाई को खाली कराने का अधिकार होगा।
- जिला आपदा प्रबंधक साइट ऑपरेशन, सेन्टर अफेक्टेड एरिया में डेस्क अरेजमेन्ट के साथ स्थापित करेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक तहसील सहायता शिविर में फीडिंग केन्द्र तथा पशु शिविर अधिकृत करेगा।
- जिला आपदा कक्ष से साइट ऑपरेशन केन्द्र तहसील शिविर फीडिंग केन्द्र सहायता शिविर तथा पशु शिविर का वायरलैस कम्प्यूकेशन कार्य करने लगेगा।
- जिला आपदा प्रबंधक प्रारंभिक सूचना तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्य सचिव / सहायता आयुक्त इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर तथा संभागीय आयुक्त को भेजेगा। जिला आपदा प्रबंधक को जरूरत पडने पर किसी भी स्थल को खाली कराने का अधिकार होगा।
- संभावित आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधक अपने पड़ोसी जिले को सूचित करेगा।
- एक से अधिक जिलों में एक साथ आपदा की स्थिति में एक अतिरिक्त सहायता आयुक्त लगाया जायेगा और जिला आपदा प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा। जिला आपदा प्रबंधक उसको रिपोर्ट करेगा।
- जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कलक्टर, प्रशासन / शहर जिला आपदा प्रबंधक के अधिकार तथा जिम्मेदारी का प्रयोग करेगा।
- चेयरमेन नगर निगम, अध्यक्ष जिला परिषद, एम. पी. और एम. एल. ए. रक्षा सेना की स्थानीय इकाई आपदा की सूचना प्राप्त होने पर सभी तैयारियाँ कार्य करने की स्थिति में आ जायेंगी।

3.7 संभागीय आयुक्त की भूमिका

- आपदा की स्थिति में संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा निम्न कार्य किये जावेंगे। संभाग के अन्तर्गत जिलों से संसाधन उपलब्ध कराना।
- मुख्य सचिव तथा ई. ओ. सी. जयपुर से लगातार संपर्क बनायेंगे।

3.8 स्थल संचालन केन्द्र तथा सहायता शिविर

- छोटे स्तर की आपदा की स्थिति बिना किसी डेस्क व्यवस्था के कलक्टर द्वारा प्रबन्ध की जा सकती है।
- एक आपदा से, कई ग्राम प्रभावित हो सकते हैं। घरों को काफी नुकसान हो सकता है। आपदा कई स्थानों पर फैल सकती है। इससे प्रबंधन में मुश्किल आ सकती है। बी.सी.आर. की गतिविधियों के विकेंद्रीकरण से बढ़ावा मिल सकता है ऐसी स्थिति डेस्क व्यवस्था की आवश्यकता पडती है। स्थल संचालन केन्द्र तथा शिविर लगाने से प्रबंधन विकेंद्रीकरण को बल मिलता है। आपदा की प्रकृति तथा विध्वंस के प्रकार को देखते हुये, सहायता शिविर तथा पशु शिविर के संख्या की जानकारी की जा

सकती है। ऐसी स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन स्थल केन्द्र की स्थापना कर सकता है। जिससे जिला नियंत्रण कक्ष में दबाव कम हो सके। आपदा की जगह सहायता शिविर की संख्या पर निर्भर करते हुये जिला आपदा प्रबंधक से ज्यादा स्थल, ऑपरेशन केन्द्र स्थापित कर सकता है।

- स्थल ऑपरेशन केन्द्र का संचालन उपखण्ड स्तर के अधिकारी / उपजिला कलक्टर के द्वारा किया जावेगा। इस तरह की बनावट से कई क्षेत्रों में जिला नियंत्रण कक्ष स्थल ऑपरेशन केन्द्र / ओवर लेप करेंगे। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे गतिविधि की पुर्नवृत्ति न हो स्थल संचालन केन्द्र का मुख्य कार्य जिला नियंत्रण कक्ष तथा शिविर स्थल के बीच कम्यूनिकेशन तथा समन्वय बैठाना है।

3.8.1 सहायता शिविर

जिला आपदा प्रबंधक प्रत्येक प्रभावित गांव में शिविर लगाने का निर्णय करेगा तथा इसके आकार को निश्चित करेगा। सहायता शिविर का प्रशासनिक ढाँचा टेबिल नं० 3 में दिया गया है, जो प्रत्येक प्रभावित लोगो की मदद के लिये जिम्मेदार होगा। सहायता शिविर तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित होगा। यदि सहायता शिविर नगर निगम क्षेत्र में है, तो यह वार्ड स्तर के अधिकारी द्वारा संचालित किया जावेगा। जिला आपदा प्रबंधक यह निर्णय ले सकता है कि यदि कोई एन.जी.ओ. सहायता शिविर संचालन में सक्षम हो, तो उसे संचालन का अधिकार देकर सहायता शिविर स्थापित कर सकता है लेकिन ऐसे शिविर डी. सी. आर. / स्थल संचालन केन्द्र के साथ समन्वय बैठा कर कार्य करेंगे।

3.8.2 स्थल संचालन केन्द्र गतिविधि

(क) निम्न कार्य करना

- बचाव एवं प्रभावित स्थल खाली करवाना।
- शवो का निस्तारण कराना।
- फीडिंग केन्द्र (दो सप्ताह के लिये स्थापित करना)
- पानी तथा भोजन की पूर्ति करना।

(ख) निम्न के साथ कम्यूनिकेशन

- ई.ओ.सी.
- जिला नियंत्रण कक्ष
- क्षेत्र में कार्यरत जिला प्रशासन के कर्मचारी
- अलग-अलग स्थापित शिविरो के शिविर अधिकारी
- एन.जी.ओ.

(ग) जिला नियंत्रण कक्ष से सम्प्रेषण करना

- बचाव एवं खोज की जरूरत ।
- जरूरत की सामग्री ।
- नकद मुआवजा ।
- ट्रान्सपोर्ट सहायता सामग्री ।
- सहायता तथा पशु शिविर की जरूरत को प्राप्त करना तथा इसे इकट्ठा करना ।
- भोजन, पानी की पूर्ति साफ सफाई का निरीक्षण

3. 8. 3 डेस्क व्यवस्था

डेस्क संचालन कार्य

(क) निम्न गतिविधि करना

- नुकसान से बचाव कार्य
- दो सप्ताह के लिये फीडिंग केन्द्र अतिशीघ्र स्थापित करना ।

(ख) निम्न से समन्वय स्थापित करना

- स्थल संचालन केन्द्र जिला नियंत्रण कक्ष ।
- जिला प्रशासन के कार्यरत कर्मचारी ।
- एन.जी.ओ. ।
- व्यक्तिगत दानदाता ।

(ग) निम्न प्रबन्ध करना

- 'सभी प्रकार की सूचनाओं और जरूरतों को जिला नियंत्रण कक्ष/स्थल संचालन केन्द्र तक पहुँचाना ।

- कर्मचारियों की पारी को निश्चित करना तथा इनकी निगरानी करना ।

3.8.4 सर्विस डेस्क

(क) निर्धारित करना

बचाव कार्य की जरूरत

(ख) प्रबंध करना

1. भोजन बनाने के लिये रसद तथा परिवार किट की व्यवस्था करना । (दो सप्ताह के लिये)

(ग) वैलफेयर सुविधा प्रदान करना

1. परिवार के सदस्यों को मिलाना
2. खोये हुये पशुओं की संख्या का निर्धारण करना ।
3. विद्यार्थियों का पता लगाना जिससे वे अपनी पढाई कर सकें ।
4. दिमागी स्वास्थ्य के लिये सेवा प्रदान करना ।
5. काउन्सलिंग की सेवा प्रदान करना ।

3.8.5 आधारभूत डेस्क

(क) मलवे को साफ करना

(ख) सामुदायिक सहयोग व हिस्सेदारी बढ़ाना

1. प्रभावित लोगों को आश्रय व स्वच्छता ।
2. भोजन की व्यवस्था ।
3. चिकित्सा सुविधा ।
4. शिक्षा सुविधा ।
5. मनोरंजन ।
6. डाक सुविधा ।

7. क्षतिग्रस्त आधार की अस्थायी मरम्मत ।

3.8.6 चिकित्सा डेस्क

(क) संघटन करना

1. मृत शरीरों का निस्तारण ।
2. कूड़े व खराब पानी की व्यवस्था ।
3. बीमारों व घायलों का इलाज ।
4. महामारी के फैलने के खतरे से बचाव ।
5. खाना, जलापूर्ति, सफाई की जाँच ।

(ख) संचालन तंत्र

1. ग्राम सहायता टिकिट प्रभावित परिवारों को देना ।
2. सहायता सामग्री का वितरण ।
3. प्राप्ति, भण्डार सहायता शिविरों को सहायता सामग्री पहुँचाना ।
4. व्यक्तिगत दानदाताओं व एन. जी. ओ. के वितरण को समन्वित करना ।
5. वाहन और यंत्रों का उचित रख रखाव ।
6. स्वयं सेवी व सामुदायिक कार्यकर्ताओं को संचारित व समन्वित करना ।
7. स्वयं सेवी व स्टॉफ की सेवायें उपलब्ध कराना ।

3.8.7 कम्यूनिकेशन एवं सूचना प्रबंधक डेस्क

निम्न सूचनाओं को एकत्रित कर जिला नियंत्रण कक्ष को भेजना ।

1. डाटा संग्रहण ।
2. रिकार्ड रखना ।
3. खोये व्यक्तियों को पहचानना ।

4. सूचना केन्द्र ।
5. प्राप्त व प्रेषित सूचनाओं का लेखा ।
6. सभी प्रेषित सूचनाओं को सहायता केम्प ऑफीसर के द्वारा भेजना ।

3.8.8 साधन डेस्क

(क) रख रखाव करना

1. नकद प्राप्ति का लेखा ।
2. नकद वितरण का लेखा ।
3. भण्डारित सहायता माल का लेखा ।
4. अवशेष सामग्री का स्टॉक रजिस्टर ।
5. सहायता कर्मचारियों को दिये गये दैनिक भत्ते आदि का लेखा ।
6. प्रशासन व सहायता केम्पों में खर्च की गई राशि का लेखा ।

(ख) सामान्य

1. सभी नकद अनुदानों को जिला नियंत्रण कक्ष पर दर्ज कराया जावे व प्रत्येक अनुदान की प्राप्ति भी ली जावे ।
2. सभी के अनुदान भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर जिला नियंत्रण के कक्ष के अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रदान करना ।
3. पेट्रोल व डीजल के बिलों का हिसाब रखना ।
4. साधन सुविधायें जो कि जिला नियंत्रण कक्ष को प्रदान करनी होती है ।
5. योजना के पूर्व अनुमान ।
6. कलेक्ट्रेट सभागार को कॉन्फ्रेंस कक्ष के रूप में काम लिया जावेगा ।
7. संचार कक्ष कलक्टर के ऑफिस के पास होगा ।

3.8.9 ले आउट

1. कार्य क्षेत्र के लिये पर्याप्त स्थान ।
2. आपातकाल में विभिन्न डेस्कों की व्यवस्था ।
3. डी. सी. आर. में संसाधन ।

3.8.10 जरूरतमन्द फर्नीचर व आलमारियाँ

1. कार्य योजना सब प्लान और लोकल प्लान सहित ।
2. खतरा संभावित क्षेत्रों के नक्शे ।
3. महत्वपूर्ण लोगों की सूची ।
4. महत्वपूर्ण नम्बरों को दीवार पर चिपका देना चाहिये ताकि वे आराम से देखे जा सकते हैं ।

3.8.11 संचार कक्ष

वर्तमान पुलिस की वायरलैस सेवायें डी. सी. आर. निरन्तर सम्पर्क रखेगी ।

इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें

2. दूरभाष, फ़ैक्स
3. इन्टर कॉम
4. सिविल वायरलैस नेटवर्क तहसीलदार स्तर तक
5. बी. एस. ए. टी. कनेक्शन
6. कम्प्यूटर मॉडम प्रिन्टर
7. फोटो कॉपी मशीन

डेस्कों की व्यवस्था

सभी आठ डेस्कों पर होनी चाहिये

1. एक फोन एस. टी. डी. के साथ
2. इन्टर कॉम कलेक्ट्रेट व सभी विभागों के अफसरों से जुड़ा होना चाहिये ।
3. कार्यालय की जगह पर साफ—साफ आपदा नियंत्रण कक्ष लिखा होना चाहिये ।

3.8.12 परिवहन

सामान्य काल में एक वायरलैस व्यवस्था युक्त वाहन होना चाहिये । आपात कक्ष में अतिरिक्त वाहन लगाये जा सकते हैं ।

3.8.13 स्टॉफ

डी.सी.आर. के लिये तीन तरफ का स्टॉफ होना चाहिये।

नियमित स्टॉफ स्टॉफ – ऑन – कॉल व आपातकालीन स्टॉफ

नियमित स्टॉफ में होना चाहिये:-

1-डेस्क ऑफीसर-संचार कक्ष ये पद अतिरिक्त जिला कलक्टर देखेंगे। वह संचार कक्ष के नियमित कार्यो को देखेंगे।

2 – संचार कक्ष सहायक

यह पद बहुत महत्वपूर्ण है इस पद पर आसीन व्यक्तियो को हमेशा संचार कक्ष में उपस्थित रहना होगा व आने वाली सूचनाओं को डेस्क ऑफीसर या कलक्टर को भेजेगा।

3 –स्टेनोग्राफर इस पद पर आसीन व्यक्ति सभी तरह की लिपिकीय सुविधा उपलब्ध करायेगा तथा उसे कम्प्यूटर डाटावेस सिस्टम का ज्ञान होना चाहिये।

4-संचार यंत्र ऑपरेटर, (24 घन्टे) ये वायरलैस सेट का ध्यान रखेगा।

5-चालक/सन्देश वाहक / अटेंडेन्ट (24 घन्टे)

चालक की जरूरत डी. सी. आर. के वाहन के लिये पड़ेगी व चालक को गाडी में लगे वायरलैस सेट को भी नियंत्रण करना आना चाहिये।

स्टॉफ ऑन-कॉल

यह स्टॉफ आपातकालीन स्थिति में तुरन्त कार्य पर आयेगा।

1- दो अतिरिक्त जिला कलक्टर

2- जिला सेटलमेन्ट ऑफीसर

3-उपखण्ड अधिकारी

अध्याय — 4

प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत एवं बचाव के उपाय

4.1 जिले में वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति

डीग जिले की वार्षिक औसत वर्षा 551.72 मिलीमीटर है जिले में बहकर आने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की स्थिति में जिला बाढ़ की चपेट में आता रहा है। यहाँ प्रत्येक दशक में एक दो बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1956, 1972 ,1975, 1976, 1977, 1978 ,1982, 1995, 1996 , 1998, 2003 एवं 2016 में जिला, मध्यम से भारी बाढ़ों से प्रभावित होता रहा है। अंतिम दो दशकों में आई बाढ़ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ष	वर्षा सत्र के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. में	जिले की औसत वर्षा मि. मी. में	बाढ़ की स्थिति
1	1996	1036 दिनांक 23-24 जून को कामां-नगर क्षेत्र में मात्र 36 घण्टे में 536 मि.मी. अतिवृष्टि हुई	558.65 (वर्ष 1996 से 2025 तक औसत वर्षा)	बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
2	1997	502		सामान्य से कम
3	1998	915		आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई।
4	1999	480		सामान्य से कम
5	2000	389		सामान्य से कम
6	2001	535		सामान्य से कम
7	2002	290		सामान्य से कम
8	2003	716		आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
9	2004	403		सामान्य से कम
10	2005	661		सामान्य से कम
11	2006	316		सामान्य से कम

12	2007	394		सामान्य से कम
13	2008	758		सामान्य से अधिक
14	2009	483		सामान्य से कम
15	2010	697		सामान्य से अधिक
16	2011	671.05		सामान्य
17	2012	682.73		सामान्य
18	2013	547.84		सामान्य से कम
19	2014	449.89		सामान्य से कम
20	2015	419.97		सामान्य से कम
21	2016	685.00		सामान्य आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
22	2017	305.00		सामान्य से कम
23	2018	679.00		सामान्य
24	2019	462.80		सामान्य से कम
25	2020	413.37		सामान्य से कम
26	2021	569.23		सामान्य से अधिक
27	2022	600.16		सामान्य से अधिक
28	2023	571.47		सामान्य से अधिक
29	2024	867.46		सामान्य से अधिक
30	2025	759.77		सामान्य से अधिक

4.2 प्रभावित क्षेत्र

जिले में आने वाली बाढ़ों से काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। यहाँ डीग शहर क्षेत्र के अलावा काफी गाँव भी प्रभावित होते हैं। प्रभावित गाँव की सूची निम्न प्रकार है:—

4.3 बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँव

रूपारेल नदी के अधिक पानी से सीकरी बांध के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँवों की सूची

तह. नगर गाजूका, गोलपुरा, खेरली, रामपुरा, मोहनपुरा, निहाम, पीपलखेड़ा, वर्दी, बयारी, नगर, विधारी, कुरकैन, बनैनी, धोकला, रुस्तमपुर, घमूडकी, दानियालपुर, वक्सूका, किशनपुरा, झांतली, चन्दुपुरा, मिट्टपुरा, भूरू का वास, गोलकी, रनियाला, बल्देववास, नीमखेड़ा, नियामतपुर, बलराका, अकबरपुर फौजदार, चिरावलमाली, भूतका, ईसनाका, कुम्हारेडी, नगर कस्बा इत्यादि ।

तहसील सीकरी :- सीकरी, डाबक, इमलारी, गुलपाड़ा, बेरू, गढ़तेस्की, पडलवास, जयश्री,

पुनाय, बेला, झंझार, सिंहावली, आलमशाह, पालका,

तह. पहाड़ी कैथवाड़ा, रॉफ, मातूकी, पथराली, सतवारी, आलमपुर, गोपालगढ़, जोतवहरूद्दीन, जोत गामेती, कादर जोत, लाडमका, जांगली, हुस्सेका, पांडेका इत्यादि

तह. कामां :- सहसन, लाडलाका, हुसना, कलतरिया, हुल्लाना, खेडली काजी, वमनपुरा, कंचननेर, करहरी, सादपुरी, पीपलखेड़ा, खेड़ा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सावलेर, मल्हाका, जीराहेड़ा इत्यादि गाँव ।

तह. डीग :- ककड़ा बेडम, पूछरी, डबारा, जनूथर, मौरौली, कुचावटी, अऊ, डीग, खोह, महमदपुर, बंधा चौथ, बहताना, खालसा, बरई, निगोही, शाहपुर, बहज, दिदावली माढेरा, तमरेर, करऊआ, सेंहती, न. चाहर, कठैरा, डीग इत्यादि ।

तह. कुम्हेर :- गांगरौली, नगला कूम्हां, नगला लखन, नगला समनका, इन्दूका, नगला दांदू, का, नगला लखनका, अधैया, सूरौता, सुनारी, अभोरा, बेलारा, नगला गोपाल, बाबूला, सेह, बोरई, बावेन, उवार, डहरा से होकर होम्स कैनाल द्वारा मोतीझील में बाढ़ का पानी निकलता है ।

4.4 बांधों का विवरण

जिले में विद्यमान सिंचाई प्रणाली में कुल 34 श्रेणीबद्ध बांध लगभग 122 किलोमीटर लम्बाई में निर्मित हैं। इस प्रणाली से लगभग 16739 हेक्टेयर क्षेत्र में जलप्लावन सुविधा प्रदान करने, पारम्परिक जलस्रोतों को भरने के साथ-साथ प्रभावी बाढ़ नियंत्रण किया जाता है।

बांधों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	जिला	बांधों का विवरण	कुल जल भराव क्षमता (एमसीएफटी)	सी.सी.ए. हेक्टेयर में
जल संसाधन खण्ड, डीग				
1	डीग	34	599.01	16738.79
जल संसाधन खण्ड भरतपुर के अन्तर्गत डीग जिले में आने वाले बांध				
1	डीग	10	357.97	5166.40

जल संसाधन विभाग के बांधों की सूची

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड डीग

क्र.सं.	जिला	बांध का नाम	कुल डिजायन		सी.सी.ए. (हेक्टर में)	वर्ष 2025 में प्राप्त पानी गेज फीट में
			गेज फीट में	भराव क्षमता एमसीएफटी		
1	2	3	4	5	6	7
1	डीग	सीकरी	11.00	Diversion	10467	0
2	डीग	आलमपुर	6.20	15.30	483	2.55
3	डीग	डाबक	5.23	7.00	390	0.00
4	डीग	डरावना	4.80	5.00	374	0.00
5	डीग	कैथवाडा	6.20	10.00	447	0.40
6	डीग	पापडा	15.00	11.50	768	0.00
7	डीग	रौफ	5.00	10.00	427	0.00
8	डीग	अरु	3.32	40.30	336	0.00
9	डीग	जनूथर	6.00	28.00	352	0.00
10	डीग	कुचावटी	4.50	83.00	760	0.00
	योग खण्ड डीग			210.10	14804	

मई 2025 में पंचायती राज विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित

बांधो की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	डिजायन भराव क्षमता MCUM में	डिजायन भराव क्षमता MCFT में	सी.सी.ए. हेक्टेयर में
1	पथरौली बांध	नगर	0.32	11.19	161.94
2	कुरकैन बांध	नगर	0.20	6.99	64.77
3	डहरी बांध	नगर	0.28	9.99	251.01
4	ब्यारी बांध	नगर	0.13	4.48	178.13
5	बूडली बांध	नगर	0.22	7.77	24.29
6	सतवारी बांध	नगर	0.37	12.99	242.91
7	ढभारा बांध	डीग	0.94	33.19	56.68
8	ककडा बांध	डीग	0.57	20.13	161.94
9	पान्होरी बांध	डीग	0.33	11.65	24.29
10	शीशम बांध	डीग	2.10	74.15	191.94
11	चुल्हेरा बांध	डीग	0.26	9.00	24.29
12	करमुका बांध	डीग	0.23	7.98	25.91
13	निगोई बांध	डीग	0.43	15.18	80.97
14	पसोपा बांध	डीग	0.85	30.01	93.11
15	सबलगढ बांध	कामों	2.27	80.16	74.93

क्र.सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	डिजायन भराव क्षमता MCUM में	डिजायन भराव क्षमता MCFT में	सी.सी.ए. हेक्टेयर में
16	कामा प्रोटेक्शन	कामाँ		0.00	0.00
17	सबलाना बांध	कामाँ	0.23	7.98	25.91
18	इन्नौली बांध	कामाँ	0.14	4.98	8.09
19	बौलखेडा बांध	कामाँ	0.20	6.99	40.48
20	धाऊ बरोली बांध	कामाँ	0.18	6.36	32.38
21	अंगरावली बांध	कामाँ	0.20	6.99	32.38
22	अगमा बांध	कामाँ	0.17	6.00	40.48
23	गढअजान बांध	कामाँ	0.13	4.73	4.85
24	खोरा बांध	कामाँ	0.28	9.99	93.11
	Total Deeg Div.		11.01	388.91	1934.79

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, भरतपुर के अन्तर्गत डीग जिले के बांध जल संसाधन उपखण्ड, कुम्हेर एवं भरतपुर के कार्यक्षेत्र में आने वाले बांध

क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	भराव क्षमता (mcft)	सी.सी.ए. (हेक्टेयर में)	अधिकतम गेज
1	आजऊ बांध	आजऊ	आजऊ	89.60	1920	6.00
2	हुसना बांध	चक पपरेरा	पपरेरा	20.00	480	8.39
3	धनवाड़ा बांध	सिरमई	धनवाड़ा	17.55	892	3.00
4	भरावली बांध	भरावली	भरावली	34.96	270.44	8.00
5	बाँसरोली बांध	बाँसरोली	गुदावली	22.00	186.64	8.00

6	पाऊआ बांध	पाऊआ	पाऊआ	40.01	121.45	8.00
7	हेलक बांध	हेलक	हेलक	41.98	291.50	9.00
8	हेलक रूंध बांध	विजय नगर	रूंध हेलक	7.87	283.40	10.00
9	बोरई बांध	बोरई	बोरई	19.00	80.97	9.00
10	सह बांध	बोरई	सह	65.00	640.00	8.00
Total				357.97	5166.40	

जल संसाधन विभाग के बांधों का वर्गीकरण

क्र.सं.	जिला	वृहद बांध		मध्यम बांध		लघु सिंचाई बांध	
		संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीग	1	—	—	—	43	956.98

जिले में कुल 44 बांध है जिसमें से 34 बांध जल संसाधन खण्ड डीग द्वारा संधारित है एवं 10 बांध सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, कुम्हेर एवं भरतपुर के अन्तर्गत आते है। विभाग के निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग के बांधों पर वर्षा पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है।

जिले में स्थित विभागीय बांधों एवं नहरों के गेटों का ऑयलिंग ग्रीसिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4.5 बाढ नियंत्रण कक्ष

वर्षा सत्र के दौरान सम्भावित बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा मुख्य-मुख्य विभिन्न स्थलों पर आवश्यक सामग्री का 15 जून तक भण्डारण किया जाता है। जिसे बाढ़ की स्थिति में अविलम्ब प्रभावित बिन्दुओं पर पहुँचाया जाकर त्वरित कार्यवाही हेतु तैयार रखा जाता है। जिसका नम्बर 05641-294005 है।

4.6 पूर्व चेतावनी व्यवस्था

जले में बाढ नियंत्रण हेतु विभिन्न मुख्य-मुख्य स्थानों पर सिंचाई विभाग द्वारा 03 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं जो 15 जून से कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 30 सितम्बर तक स्थापित रहते हैं। इनके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित

किये जाते हैं। उपर्युक्त सिंचाई विभाग के 03 बाढ़ नियंत्रण कक्षों में से 1 केन्द्र पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहती है एवं अन्य नियंत्रण केन्द्रों से मोबाईल द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सिंचाई विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष हाइड्रोलॉजी यूनिट आई डी एण्ड आर जे एल एन मार्ग जयपुर में स्थापित किया जाता है।

वर्षा सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 बजे नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिले के समस्त क्षेत्र की वर्षा एवं गेजों की सूचना प्राप्त की जाती है तथा प्राप्त सूचना प्रातः 10 बजे तक जिला कलक्टर नियंत्रण कक्ष तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष जयपुर को भेजी जाती है। इसी तरह बाढ़ के पानी के नियंत्रण एवं संग्रहण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन्हीं नियंत्रण कक्षों के माध्यम से सूचना दी जाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मानसून काल में मौसम विभाग जयपुर से समय पर चेतावनी मुख्य नियंत्रण कक्ष, जयपुर के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसकी अविलम्ब सूचना स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से कार्यरत प्रभारी अधिकारियों को दी जाती है। साथ ही रूपारेल नदी पर स्थापित नियंत्रण कक्ष घाट पिकअप वीयर, अलवर से दूरभाष द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त की जाकर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक निर्देश/चेतावनी सभी नियंत्रण कक्षों के माध्यम से दी जाती है।

प्रभावी बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों के जिले में विद्यमान गेज स्टेशन तथा अप स्ट्रीम में दूसरे जिलों में स्थापित गेट स्टेशनों के गेजों के आंकड़े लिये जाकर तैयार ग्राफ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संभावित गेज एवं पानी की मात्रा तथा पानी पहुँचने की अवधि का आंकलन कर बाढ़ पूर्व की चेतावनी सूचना तथा दिशा-निर्देश नियंत्रण कक्षों के माध्यम से क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रसारित किये जाते हैं तथा सभी संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना अमल में ली जाती है बाढ़ आपदा की स्थिति में विभिन्न तहसीलों पर स्थापित प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों को अलर्ट कर संभावित प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध हरसंभव संचार/सूचना/सरकारी मशीनरी गैर सरकारी संस्थाओं/जन सेवकों के माध्यम से सूचना गांवों तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाई जाती है ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सकें।

4.10 सिंचाई एवं पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण वायरलैस स्टेशन

जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 4 स्थानों पर वायरलैस केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित किया है वायरलैस केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वायरलैस स्टेशन का स्थान	खण्ड कार्यालय
1	सीकरी बांध	ज.सं.खण्ड डीग
2	जल संसाधन खण्ड डीग कार्यालय	ज.सं.खण्ड डीग
3	राधा नगरी कामां रेगुलेटर	ज.सं.खण्ड डीग
4	जल संसाधन उपखण्ड, कामां	ज.सं.खण्ड डीग

खण्ड, डीग के अन्तर्गत वायरलैस केन्द्रों पर वायरलैस सैट संचालित नहीं है।

4.11 विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधन

जल संसाधन विभाग

क्र.सं.	नाम सामग्री	तादाद
---------	-------------	-------

		डीग खण्ड
1	खाली सीमेन्ट के प्लास्टिक के कट्टे	12000
2	बांस	200
3	बल्ली	25
4	परात	20
5	मिटटी से भरे प्लास्टिक के कट्टे	200
6	बान-मूँज	15 किलो
7	सुतली	10 किलो
8	नारियल रस्सी	10
9	छाता	10
10	फाबडा बेटां(हैण्डल) सहित	20
11	Life Jackets	निल
12	Life Bouys	निल

पम्प सैट की सूची (उपलब्ध संसाधन)

क्र.सं.	आईटम	मात्रा	स्थान का नाम	खण्ड कार्यालय
1	पम्प सैट इलैक्ट्रिक 75 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
2	पम्प सैट इलैक्ट्रिक 60 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
3	पम्प सैट डीजल 40 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
4	पम्प सैट इलैक्ट्रिक 7.5 एच पी	8	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
5	पम्प सैट डीजल 15 एच पी	2	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग

नगर परिषद ,डीग

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात	क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात
1	इंजन	0	23	फर्स्ट एण्ड बॉक्स	2

2	टार्च (3 सैल)	2	24	स्ट्रेचर	0
3	पैट्रोमैक्स	0	25	रस्सा मोटा सन का	0
4	छाता	0	26	एक्स्टेशन लेडर	2
5	ट्रेक्टर	2	27	रेस्क्यू वाहन ट्रक	0
6	डम्पर	0	28	रेस्क्यू वाहन बोलेरा केम्पर	0
7	ऑटो ट्रिप्स	10	29	बी.ओ.बी.रोप (9 एम.एम.) 90 मीटर	0
8	जे.सी.बी.	1	30	बी.ओ.बी रोप (12 एम.एम.) 90 मीटर	0
9	फायर वाहन	1	31	ड्रेगन लाईट	0
10	रस्सा	1	32	पुली सिंगल/डबल लोहा	0
11	फावड़े	50	33	कुल्हाडी	5
12	परात	50	34	हथौडा	3
13	फावड़ी	50	35	फायरमैन हुक	0
14	सबल	10	36	दरी	0
15	गेंती	5	37	पोर्टेबल इन्फ्लेटेबल इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम	0
16	घन	2	38	चिपिंग हेमर	0
17	पेट्रोमैक्स	0	39	लाल कम्बल	0
18	रेत से भरे कट्टे	0	40	नेट 10X10	0
19	निचली क्षेत्रों में पानी निकास हेतु इंजन व्यवस्था	2	41	फेस मास्क	0

20	लाईफ ब्याएज	0	42	असेण्डर	0
21	लाईफ जैकेट	0	43	डिसेण्डर	0
22	बेल्या	1			

नागरिक सुरक्षा, डीग

क्र. स.	नाम वस्तु	तादात
1.	नेट	04
2.	रस्से	04
3.	बिलाई	01
4.	सबल	01
5.	स्ट्रेचर	02
6.	लाल कम्बल	04
7.	फस्टेड बाक्स	01
8.	ड्रेगन लाईट	02
9.	लाईफ जैकेट	04
10.	लाईफ व्योज	04
11.	हेलमेट	04
12.	फेस मास्क	04
13.	गेती	02

14.	फावडा	01
15.	बेल्चा	02
16.	रोप लेडर	02
17.	दरी	02
18.	पुली	03
19.	सैफटी कोन	04
20.	गम बूट	04
21.	दस्ताने	04
22.	डी-रिंग	02
23.	OXY-99	05
24.	LED Safety Helmet with torch	01
25.	Safety Chain	10
26.	FIRE Blanket	01
27.	First Aid Kit	02
28.	Safety Jacket	01
29.	Green Safety Jacket	02
30.	Battery Operated LED	01
31.	Nylon Rope	01

32.	Caution Tape	01
33.	Rechargable Safety Torch	02

4.12 सुरक्षित स्थानों की सूची

नगर		
1	नगर	रा.सी.मा.वि. सीकरी
2	नगर	रा.प्रा.वि. जयश्री
3	नगर	रा.प्रा.वि. रायपुर सुकेती
4.	नगर	रा.मा.विद्यालय डाबक
5	नगर	रा.मा.विद्यालय, पालका
6.	नगर	रा.मा.विद्यालय वेरू
7.	नगर	रा.मा.विद्यालय सुन्दरावली
8.	नगर	सिटी स्कूल, बोर्डिंग हाउस, नगर पालिका, नगर कस्बा
कांमा		
1.	कांमा	कोट ऊपर कांमा
2.	कांमा	जैन धर्मशाला कांमा,
3.	कांमा	अग्रवाल धर्मशाला
4.	कांमा	खण्डेलवाल धर्मशाला कांमा
5.	कांमा	रा.उ.मा.वि. कांमा,

6.	कांमा	पहाड़ स्थल नन्देरा
7.	कांमा	रा.मा.वि. नौनेरा
8	कांमा	जी.एम.सी. नहर के बैंक
9	कांमा	पहाड़ स्थल, लेवड़ा
10	कामों	पहाड़ स्थल कनवाड़ी
डीग		
1	डीग	किशनलाल जोशी राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, डीग
2	डीग	मास्टर आदितेन्द्र कॉलेज, डीग
3	डीग	पंचायत समिति भवन, डीग
4	डीग	तहसील भवन डीग
पहाड़ी		
1	पहाड़ी	ग्राम पंचायत पहाड़ी भवन
2	पहाड़ी	केहरी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़ी
3	पहाड़ी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़ी

4.13 नाविकों एवं तैराकों की सूची

1. निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरा नावों की सूची

जले में विभाग के पास कोई नाव चालू हालत में उपलब्ध नहीं है। मत्स्य विभाग भरतपुर के अधीन मछली मार्केट गोवर्धन गेट भरतपुर मे 2 नावें निजी क्षेत्र के मछुआरो के पास उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के नाव चालक मछुआरों की सूची संलग्न है।

नाव मालिक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर	नाव चालक का नाम, पता एवं मोबा.नम्ब.	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का	जीवन उपकरण	रक्षक
---	--	--------------------	-------------------------	---------------	-------

			स्थान	लाईफ बॉय सं.	लाईफ जैकेट सं.
झमीलखॉ/अल्ला बक्श मछली मार्केट के पास गोवर्धन गेट,भरतपुर मो. 9785754384	झमील खॉ/ अल्ला बक्श मछली मार्केट के पास गोवर्धन गेट,भरतपुर मो. 9785754384	02 (मछुआरा नावें)	मछली मार्केट गोवर्धन गेट,भरतपुर	निल	निल
श्री इर्शाद अहमद/अब्दुल रहमान मत्स्य ठेकेदार बंध बारैठा, भरतपुर मो. न. 9983358884	श्री इर्शाद अहमद/अब्दुल रहमान मत्स्य ठेकेदार बंध बारैठा, भरतपुर मो. न. 9983358884	5 (मछुआरा नावें)	बंध बारैठा, भरतपुर	—	—

2. निजी क्षेत्र में उपलब्ध मछुआरों के नामों की सूची

क्र.सं.	मछुआरों का नाम	आयु	पूरा पता
1	कदीर/झमील खॉ	31	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	मुस्तकीम/सलीम खॉ	43	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
3	उस्मान/अब्दुल रहमान	44	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
4	फज्जो/सुभान खॉ	49	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
5	फकरुद्दीन/रसीद खॉ	37	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
6	आफताब/फरजन्दअली	29	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
7	अयूब/यूसुफ	46	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
8	महबूब/यूसुफ	41	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर

4.14.1 बाढ़ के पहले, दौरान व बाद में विभिन्न विभागों का दायित्व

इस आपदा से भली प्रकार निपटने एवं राहत पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्न है :-

अ. मानसून पूर्व के दायित्व

क्र.सं	संबंधित अधिकारी	मानसून पूर्व के दायित्व
1.	जिला कलक्टर डीग	संभावित बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों की सूची तैयार कराना, क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय ट्रेक्टरों, पम्प सेटों, नावों, तैराक स्वंय सेवकों की सूची तैयार कराना, संबंधित विभागों की बाढ़ की पूर्व तैयारी की समीक्षा एवं मोनिटरिंग
	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	समस्त प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण करना तथा मानसून पूर्व कराये जाने वाले कार्य का चिन्हीकरण कर मरम्मत कराया जाना। नदी में कैनाल हैड पर क्रास बन्द बनाने, नहरों की डीसिल्टिंग, कमजोर तट बन्दों की मरम्मत के के प्रस्ताव तैयार करना तथा सम्पादन 15 जून से पूर्व कराया जाना। 15 जून से पूर्व समस्त गेटों की जाँच कर आवश्यक मरम्मत तथा ऑयलिंग व ग्रीसिंग कराना। 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्षों को सौपना तथा टेलीफोन व वायर लैस सैटों की स्थापना सुनिश्चित करना। मानसून सत्र में आवश्यक सामग्री का भण्डारण एवं 15 जून तक की सभी चिन्हित स्थानों पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	रेलवे विभाग	रेल मार्गों से क्रास हो रहे नाले, नदियों के सी.डी. वर्क्स एवं तटबंधों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराया जाना।
	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग	सड़क मार्ग में प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियों, काजवे इत्यादि के निरीक्षण कर आवश्यक सफाई मरम्मत कार्य कराये जाकर बहाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाना काजवे पर गेज लगाना, जिले के मार्गों (सड़कों) का मानचित्र तैयार करना।
	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था तथा पीने के शुद्ध पानी हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था बावत प्लान तैयार करना।
	चिकित्सा विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था एवं कुओं में ब्लीचिंग

		पाउडर डाले जाने की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार करना ।
	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गुजर रही पावर लाइनों को खिंचवाना तथा बाढ़ के दौरान करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करने तथा सप्लाई बनाये रखने हेतु प्लान तैयार करना
	उप निदेशक पशुपालन विभाग	पशुओं को बाढ़ के दौरान चारा आपूर्ति व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना ।
	जिला रसद अधिकारी	बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु कोटा आरक्षित करने बावत प्लान तैयार करना ।
	आयुक्त नगर परिषद, डीग	नगर परिषद व नगर न्यास क्षेत्रों में बहने वाले पानी के निकास के नाले नालियाँ आदि के बहाव क्षेत्र की सफाई कराई जाकर सुरक्षित करना तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार करना ।

ब. मानसून के दौरान दायित्व संबंधित अधिकारी

क्र.सं	संबंधित अधिकारी	मानसून के दौरान दायित्व
1.	जिला कलक्टर डीग	बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचावाना एवं संभावित बाढ़ हेतु सूचना, चेतावनी, प्रसारित करवाना, खाने व पीने के पानी की व्यवस्था कराना, बीमार लोगों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराना ।
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर	सभी संबंधित विभागों में सांमजस्य बिठा कर बाढ़ नियंत्रण एवं सहायता कार्य संपादित करने हेतु मोनिटरिंग करना
3.	अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डीग	विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा कार्यरत विभागों से समन्वय बनाना ।
4.	तहसीलदार, समस्त जिला डीग	कार्य प्रबंधन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों की पूर्णता

5.	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	बाढ की स्थिति की नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना। बाढ के पानी का समुचित नियंत्रण कर सुरक्षित निकाले जाने की व्यवस्था करना। बाढ से क्षतिग्रस्त बांध, नहरों, नदियों के तट बन्धों की त्वरित मरम्मत कराना। अनियंत्रित बाढ की स्थिति में जिला प्रशासन को भारी मदद हेतु सूचित करना, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर बाढ पर नियंत्रण करना।
6.	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग	बाढ के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों की त्वरित मरम्मत कर मार्गों को चालू करना, प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियों के अवरोधों को हटाकर बहाव क्षेत्र सुरक्षित करना।
7.	रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गों कार्य की त्वरित मरम्मत कराया जाना।
8.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बाढ प्रभावित क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना।
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बाढ के दौरान बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा एवं दवाये उपलब्ध कराना।
10.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बाढ के दौरान विद्युत सप्लाई बहाल करने तथा करन्ट से। होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव।
11.	उप निदेशक पशुपालन विभाग	बाढ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था, बीमार पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना तथा चारे की व्यवस्था कराया जाना।
12.	जिला रसद अधिकारी, भरतपुर	बाढ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना तथा मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना।
13.	नगर परिषद डीग	शहर क्षेत्र भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना। छ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना। मिट्टी के भरे बोरे लगाकर पानी पर नियंत्रण करना।
14.	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग / स्वयंसेवी संस्थाये	जन-साधारण को जलजनित एवं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की छात्रों/अध्यापकों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना।

स. मानसून के पश्चात् दायित्व

क्र.सं	संबंधित अधिकारी	मानसून के दौरान दायित्व
1.	जिला कलक्टर डीग	सभी विभागों से बाढ़ से हुई क्षति की सूचना से सरकार को सूचित करना, सभी विभागों की मॉनिटरिंग कर क्षति ग्रस्त कार्यों की मरम्मत सुनिश्चित कराना ।
2.	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग, राजस्थान सरकार को भेजना, सहायता की स्वीकृति पर क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रों में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना ।
3.	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	बाढ़ क्षतिग्रस्त मार्गों का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से सहायता विभाग जयपुर को भेजना तथा बाद स्वीकृति कार्यों की मरम्मत करना
4.	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, डीग	कार्य प्रबंधन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्यों की पूर्णता
5.	मण्डल /जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गों कार्यों की मरम्मत करना ।
6.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पेयजल आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त कार्यों की क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाद स्वीकृति मरम्मत कराया जाना ।
7.	चिकित्सा विभाग	बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना ।
8.	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त लाइनों की त्वरित मरम्मत करना ।

9.	पशुपालन विभाग	बाढ़ उपरान्त फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम करना तथा चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना।
10.	रसद विभाग	प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना।
11.	आयुक्त नगर परिषद डीग	क्षतिग्रस्त जल निकास प्रणाली की त्वरित मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रों में भरे पानी को निकालना।

1. **विभिन्न स्थलों पर विद्यमान क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स :-** राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरतपुर जिले की सीमा में क्रॉस हो रही नहरों रमेश स्वामी, हलैना कैनाल, अजान कैनाल, रामनगर दो मोरा कैनाल, डिग्गी चैनल, घना-जाटौली कैनाल, चिकसाना कैनाल इत्यादि के क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की लम्बाई बढ़ाई जाकर पुनः निर्माण करवा दिये गये हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थलों पर पूर्व में निर्मित क्रॉस ड्रेनेज मोरियों की भी लम्बाई बढ़ाकर स्टेटस यथावत रखा जा रहा है जिससे आगामी बाढ़ सत्रों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं रहेगा।

2.राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ बहने वाली नहरों/ चैनलों बांधों सम्बन्धी सिंचाई प्रणाली

:- राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ हलैना-हेलक फीडर, डहरा-बांसी चैनल एवं डहरा बांध स्थित हैं। जिनमें से हलैना चौकी, डहरा- बांसी चैनल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तथा डहरा बांध में इस चैनल के हैड रेग्युलेटर का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एन.एच.ए. आई. प्रशासन से निरन्तर प्रयास जारी हैं तथा उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने हेतु आश्वस्त किया जाता रहा है। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। एवं ना ही हलैना चौकी का निर्माण कराया गया है। बाढ़ के समय देखभाल /बाढ़ सामग्री एकत्रित करके हलैना चौकी से नियंत्रण होता है।

4.2 सूखा

सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो धीरे-धीरे विकसित होकर लम्बे समय तक बनी रहती है। इसका प्रभाव धीरे-धीरे समय के साथ होता है। वर्षा की कमी, पानी के सही संरक्षण का अभाव, अनावश्यक एवं गलत तरीके से पानी का प्रयोग सूखे की विकरालता को बढ़ा देता है। सूखा दो भागों में विभक्त किया जा सकता है प्रचंड सूखा एवं सामान्य सूखा।

जिले का अधिकांश भाग मैदानी है। रूपारेल के माध्यम से बरसाती पानी आवक के कारण सामान्यतः जहाँ बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है, वहीं कृषि प्रधान जिला होने के कारण वर्षा नहीं होने या कम होने पर अकाल की पीड़ा भी जिले के नागरिकों को झेलनी पड़ती है, सामान्य वर्षा होने पर भी भू जल स्तर बहुत नीचा रहता है। सामान्य काल में गर्मी के मौसम में चारे और पानी के अभाव के चलते यहां के लोग अपने पशुधन को जिले के मैदानी भाग स्थित रिश्तेदारियों में भेजते हैं, बदले में बाढ़ के दौरान बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से पशुधन बाढ़ में सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया जाता है।

4.2.1 Identification of Drought prone (Based on past 10 year data)

	Total Number	Identified as drought prone
District	1	0
Blocks	6	0
Tehsils	9	0

4.2.4 Preparedness of contingency plan

(अ) Water – सूखा की स्थिति में जिले के प्रभावित क्षेत्रों टेंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(ब) Health –

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें किसी भी आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर एक रेपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम मय समुचित औषधियों के आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में प्रस्थान कर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी। जिला मुख्यालय की टीम के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। सामान्य चिकित्सालय एवं सभी राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को रोगियों के उपचार हेतु वार्डों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं।

(स) Power/Energy -

1. जल स्रोतों के लिये विद्युत व्यवस्था को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार चालू रखने की व्यवस्था की गई है।
2. जल स्रोतों के लिये स्थापित लाईन एवं ट्रांसफार्मर को खराब होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरुस्त करने हेतु वृत्त भण्डार में प्रचुर मात्रा में सामान रखा गया है।

3. जलदाय विभाग द्वारा जमा पत्रावलियों के कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने हेतु सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिये गये हैं, जिसके लिये सामान की उपलब्धता को सहायक अभियन्ता कार्यालय में सुनिश्चित कर दिया गया है।
4. कृषि के निर्धारित ब्लॉकों में विद्युत सप्लाई दी जा रही है तथा कृषि के लिये ब्लॉकों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में सूखा पड़ता है, तो राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित ब्लॉकों में समुचित विद्युत सप्लाई दी जायेगी।

4.2.11 अकाल के दौरान कार्यवाही

सर्वप्रथम अकाल प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जावेगी, जिसमें उपलब्धता, प्रभावित जनसंख्या एवं पशुओं की की आर्थिक स्थिति और गरीबी रेखा से नीचे के

चिन्हीकरण करना होगा। इस हेतु राजस्व फसलो की स्थिति, भू-जल स्तर, चारे की संख्या का समावेश होगा। प्रभावित जनसंख्या परिवारों की संख्या ज्ञात करली गई है।

प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर, अन्य विभागों की गतिविधियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का अध्ययन कर लिया गया है। अकाल के दौरान काम आने वाले औजारों और संसाधनों का अनुमान कर उनके प्राप्ति स्थल तय कर लिये गये हैं। अग्निशमन के संसाधनों का इंतजाम करके आपात स्थिति में पीड़ितों को सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था तय कर ली गई है। भोजन और चारे की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। चारा डिपो कहाँ-कहाँ है यह पता कर लिया गया है। आमजन की सेवा की इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर लिया गया है। जनसम्पर्क से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों की भूमिका प्रभावित क्षेत्र के सभी विभागों, के समन्वय से निश्चित कर दी गई है। सूखा के दौरान मानव और पशुओं में फैलने वाले सम्भावित रोगों और उनके उपचार की पूर्व तैयारी हेतु चि० एवं स्वा. विभाग को सजग कर दिया जावेगा।

4.2.12 अकाल के बाद कार्यवाही

राहत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। अकाल के दौरान परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण किया जावेगा। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जावेगा। कृषि पर आधारित श्रमिकों को औद्योगिक सेवा के माध्यम से रोजगार दिलाया जायेगा। पेयजल के लिये स्थाई योजनाये बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

4.2.13 सूखा से पूर्व प्रशासन के उत्तरदायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	भू राजस्व नियमावली के अनुसार फसलों की गिरदावरी एवं आपदा की सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराना	ग्राम पटवारी
2.	मौसम पर निगाह रखने का कार्य, संकेतों की पहचान और क्षेत्र की आवश्यक जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना	गिरदावर
3.	पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी का व्यापक परीक्षण, वर्षा तहसीलदार का मापन, मौसम के मिजाज एवं फसलों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को	तहसीलदार

	प्रस्तुत करेगा	
4.	क्षेत्र के किसी विभाग में फसलों में भारी खराबा होने की सम्भावना हो उपखण्ड अधिकारी अथवा खराबा दिखाई देने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो तत्काल मौके पर पहुँच कर अपने अवलोकन व परिमाणों की रिपोर्ट कलक्टर को देना	उपखण्ड अधिकारी
5.	जिले की वर्षा, मौसम सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट, वर्षा की मात्रा, कृषि प्रभारी अधिकारी, द्य कार्यों की प्रगति, खाद्यान्न एवं चारा मूल्यों में उल्लेखनीय उतार भूदृअभिलेख, चढ़ाव, कीड़ों द्वारा फसल में की गई हानि, पशुओं को पीने के पानी अति० कलक्टर, की आपूर्ति आदि का साप्ताहिक नोट जिला कलक्टर को प्रस्तुत प्रशासन करेंगे।	प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, अति० जिला कलक्टर,
6.	भू अभिलेख नियमावली के अनुच्छेद 328 में दिये निर्देशानुसार स्थिति जिला कलक्टर का पाक्षिक प्रतिवेदन सहायता, विभाग को प्रस्तुत करेंगे। मौसम के आरम्भ में वर्षा की प्रगति, और कृषि कार्यों का अन्वेक्षण जिला स्तरीय वेदरवाच गुप करेगा	जिला कलक्टर
7.	जिले के किसी भी भाग में संकट के प्रारंभिक संकेत दृष्टिगोचर होने जिला कलक्टर लगे तो साप्ताहिक स्थिति, सहायता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।	जिला कलक्टर

4.2.14 सूखा के दौरान दायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	अभावग्रस्त गांवों को राजस्थान अफैक्टेड एरियाज एक्ट 1952 के तहत अधिसूचित कराने की कार्यवाही	जिला कलक्टर
2.	विभिन्न कार्यकारी विभागों की संचालित योजनाओं को राहत कार्यों से डवटेल कर स्वीकृत करने की कार्यवाही	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन सहायता तथा कार्यकारी एजेन्सी
3.	पेयजल व्यवस्था	अधि.अभि. जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार

4.	पशुओं के लिए पेयजल एवं चारे की व्यवस्था	अधि.अभि. जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, उपनिदेशक, कृषि/ पशुपालन विभाग
5.	खाद्यान्न वितरण व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
6.	महिला एवं बच्चों के लिए पोषाहार एवं स्वास्थ्य जांच	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग
7.	गौशालाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराना	उप निदेशक, पशुपालन विभाग/ प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन सहायता
8.	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित कराना	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9.	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
10.	मानव एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक, पशुपालन विभाग
11.	शिकायतों की जांच, निरीक्षण एवं निस्तारण	जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी
12.	कानून व्यवस्था की स्थिति	जिला पुलिस अधीक्षक

4.2.15 मौसम निगरानी समिति (Whether watch comettee) :- जिला कलक्टर दृ अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अधीक्षण अभियन्ता, जलसंसाधन, केन्द्रीय सहकारी बैंक, लीड बैंक आफिसर, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, उपनिदेशक कृषि, अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी, उप निदेशक, पशुपालन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सदस्य होंगे इस दल की बैठक सप्ताह में एक बार अवश्य होगी। बैठक की व्यवस्था अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन द्वारा की जावेगी।

4.2.16 सूखे से बचने के दीर्घकालिक उपाय :- सूखे से बचने के लिए दीर्घकालिक उपाय के रूप में पड़ों की कटाई को रोका जायेगा। नए पड़ों लगाये जाएंगे तथा पड़ों के कारण वर्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसकी जानकारी समुदाय को निम्न विभागों/संस्था द्वारा दी जायेगी।

4.2.17 शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :- छात्र – छात्राओं को प्रार्थना सभाओं में वादद्विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, निबन्धों द्वारा इसकी जानकारी को समुदाय तक पहुंचाया जाएगा कि पड़ों का पर्यावरण के लिए सूखा (अकाल) दूर करने में कितना महत्व है

4.2.18 वन-विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :- पेड़ लगाकर अवैध कटाई को रोककर तथा समुदाय में जानकारी कर वनों व वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करने के लिए वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों में जानकारी का प्रसार-प्रचार किया जावेगा ताकि समुदाय में यह सन्देश दिया जा सके कि वनों / वृक्षों को बचाना सूखा (अकाल) जैसी आपदाओं को रोकने के लिए आवश्यक है :-

1. वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रहण किया जाए ।
2. जल को अनावश्यक / व्यर्थ न बहाएं ।
3. वाहनों को धोने के बजाएँ पोंछना अधिक उचित है ।
4. घर में पौधे ऐसे लगाए जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो ।
5. फल, सब्जी, कपड़े धोने के बाद बचा पानी पौधों में / मकान में पोछा लगाने में प्रयोग करें ।
6. टंकियो व पाईपो का रिसाव रोकें ।

4.2.19 कृषि विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. कृषक ऐसी फसलों का उत्पादन करे जो कम समय में अधिक उत्पादन देती हो।
2. कृषक वर्षा के जल को संग्रहित कर सिचाई कर सकते हैं और जमीन का जल स्तर बढ़ा सकते हैं।
3. ऐसे बीजों/खादों की जानकारी व उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कम जल उपलब्धता में भी अच्छा उत्पादन हो सके ।
4. फसल चक्र को बदलने के लिए विशेषज्ञ सलाह देंगे।
5. चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शंकर बीज की उपलब्धता व जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
6. सूखे पत्तों व लकड़ी के गोबर आदि का कृषि कार्यों के उपयोग हेतु प्रयोग बावत् जानकारी व प्रदर्शन शिविर आयोजित करायेंगे ।
7. फलदार वृक्षों के बारे में जानकारी देंगे।
8. इन सभी जानकारीयों के प्रसार-प्रचार के लिए प्रेस व गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाकर लोगों के जानकारी स्तर को बढ़ाया जाएगा ।

4.2.20 सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. बांधों/नहरों का रख रखाव व सुरक्षा ।
2. नहरों की डिसिल्टिंग समय पर की जायेगी ।
3. कूप पुनर्भरण योजना लागू करेंगे।

4.2.21 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य
2. पानी के टांके बनाये जायेंगे ।
3. खेतों में एससी/एसटी / बीपीएल हेतु कुण्ड बनवाये जायेंगे ।
4. कुएं गहरे करवाये जावेंगे ।
5. 'वाटर शेड' योजना की जानकारी का प्रचार प्रसार / प्रदर्शन करेगा ताकि अधिकाधिक समुदाय इसको व्यावहारिक रूप से अपनाये।
6. इन सभी योजनाओं की जानकारी प्रेस मीडिया / नारा लेखन / गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से योजना बजट के प्रावधानों के अन्तर्गत करायेगा।

यदि जिले में किसी प्रकार की आपदा होती है तो पशुओं के बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था, चारे पानी की व्यवस्था, रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण एवं बीमार होने की स्थिति में चिकित्सा शिविर लगाकर उपचार किया जावेगा।

4.3 चक्रवात

चक्रवात की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व :-

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	चक्रवात की सूचना/मौसम के बदलाव की स्थिति से/अलर्ट जारी करने की सूचना जिला प्रशासन को देना एवं प्रतिदिन जिला प्रशासन,जिला कलक्टर एवं पी.आर.ओ. को अवगत कराना।	ए. पी. आर .ओ.
2.	चक्रवात क्षेत्र में हॉनि का आंकलन करना, हॉनि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम/तहसीलदार
3.	प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था, एमएलओ मशीन द्वारा दवाई का छिडकाव।	आयुक्त नगर परिषद/ईओ नगर पालिका
4.	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
5.	कारकस डिस्पोजल, जानवरों के लिए इलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हानि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को	उप निदेशक पशुपालन विभाग

	प्रोत्साहित करना।	
6.	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ
7.	प्रभावित विद्युत लाईनों का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
8.	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक भारत संचार निगम लिमिटेड
9.	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	ए. पी. आर .ओ.
10.	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पढ़ने पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की मांग पर उसे जारी करना। आगामी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था।	मैनेजर एफ.सी.आई./ वेयर हाउस
11.	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, फसलों के बीमा हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
12.	वित्तीय संस्थाओं यथा—ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को — ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	जले के समस्त वित्तीय संस्थान

4.4. बादल फटना (अतिवृष्टि)

बादल फटने की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व :-

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन, जिला कलक्टर को अवगत कराना	ए. पी. आर .ओ.
2.	सूचनाओं के आदान-प्रदान, कानून व्यवस्था	जिला पुलिस अधीक्षक, डीग
3.	रेस्टोरेशन वर्क, सुरक्षित स्थानों पर आवश्यकता अनुसार रोड कट करना, वैकल्पिक रास्तों का निर्माण, ड्रम बोर्ड्स बनाना, सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण, बचाव साधनों की व्यवस्था।	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग
4.	नाला, नाली सफाई डीवाटरिंग की व्यवस्था, पेयजल सफाई, रोशनी	नगर परिषद, डीग , नगर पालिकायें

	आदि कार्य।	समस्त जिला डीग
5.	पानी निकासी के लिये पम्प सेटों की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
6.	पशुओं का टीकाकरण।	उपनिदेशक, पशुपालन
7.	अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में हुई हानि का आंकलन कर जिला कलक्टर को भिजवाना, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
8.	अनाज का स्टॉक उपलब्ध रखना, प्रशासन की मांग पर अनाज जारी करना।	जिला रसद अधिकारी
9.	फसल में हुए हानि का आंकलन, बीज खाद, कीटनाशक की व्यवस्था कृषि बीमा योजना हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक, कृषि
10.	उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना	ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक,
11.	क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों / टेलीफोन लाईनों की पुर्नस्थापना	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. उपमाह प्रबंधन बी.एस. एन.एल
12.	अतिवृष्टि / बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अध्यापकों एवं छात्रों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं / ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल एवं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना। (उक्त बीमारियों से बचाव ही उपाय है)	शिक्षा विभाग/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत

4.5 लू

बहुत अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने अथवा कार्य करने से मस्तिष्क की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक गर्मी होने के कारण लू लगती है

4.5.1 गर्मी के प्रभाव (HEAT&Exhaustion)

सिर में दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उलटी, कमर में दर्द, शक्तिहीनता, मूर्छित हो जाना, चमड़ी पीली, ठण्डी व गीली व चिपचिपी होना। शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक हो जाना। सांस की गति तेज व सांस छिछली होना। नाडी की गति तेज व दबाव कम होना।

4.5.2 लू लगना (HEAT Stroke)

लू की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सिर में दर्द उलटी व व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चमड़ी लाल व गर्म हो जाती है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है।

गर्मी एवं लू से बचाव ही उपाय है। सूर्य की तेज धूप में घूमने से बचें भोजन करके बाहर निकलें, खाली पेट धूप में न जायें, गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने व कठिन कार्य करने से बचें। सिर को ढक कर रखें। तरल पदार्थों का उपयोग करें। सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रखा जावे।

4.5.3 जिला प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	मौसम के बदलाव एवं दैनिक तापक्रम पिछले तीन निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एवं प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना।	ए. पी. आर .ओ.
2.	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावों की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय-समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. जिला कलक्टर
3.	स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ डीग
4.	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगों के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ डीग
5.	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6.	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाएँ।	समस्त उपखण्डाधिकारी, डीग
7.	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाएँ व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ डीग
8.	मजदूरी करने वालों के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/सिंचाई/विद्युत/नगर निगम/नगरपालिकायें/वनविभाग डीग
9.	निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों/गैर सरकार संस्थाओं इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ डीग

	उनमें चेतना लाना।	
10.	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बो व गाँवों में सड़क के किनारों पर छायादार पेड़ लगाने का व्यापक अभियान व जगह-जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/सीईओ जिला परिषद/सा.नि.वि./वन विभाग, डीग
11.	जगह-जगह शेल्टर एवं शेड बनाने के लिये	पी. एच .ई .डी.
12.	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था/ प्याऊ की व्यवस्था	परिवहन विभाग
13.	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14.	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एवं स्कूलों का समय निर्धारित करना	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग

4.6 शीत लहर

मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति सजग रहें। सावधानियाँ बरते, संचार

माध्यमों से मौसम की जानकारी लेते रहें, कपड़े कई परतों में पहने, सिर ढक कर रहें, पशुओं

को शेड आदि में रखें।

4.6.1 प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना	ए. पी. आर .ओ.
2.	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना ।	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग

3.	गरीब जरूरतमन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीड़ित होने का खतरा होता है । उनको रैन बसेरे के रूप में शरण स्थल उपलब्ध कराना ।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला डीग
4.	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के जिला कलक्टर, भरतपुर वितरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था	जिला कलक्टर, डीग
5.	विभिन्न जन संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण तक जिला सूचना जनसम्पर्क समयदृश्य पर क्या करें क्या न करें की जानकारी अधिकारी, भरतपुर देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, डीग
6.	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को अतिरिक्त कलक्टर आवश्यक सहायता प्रदान कर सके ।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी.एस.ओ. डीग
7.	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयं सेवी संस्थायें
8.	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना	पीएमओ एवं सीएमएचओं
9.	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं सड़ियों से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था ।	परिवहन विभाग

4.7 ओलावृष्टि, पाला, आंधियाँ, तूफान

ओलावृष्टि, पाला, आंधियाँ, तूफान ऐसी आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के

अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है । इन आपदाओं के कारण सार्वधिक नुकसान व्यक्तियों, पशुधन, फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है।

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	ओलावृष्टि, पाला, आंधी, तूफान, प्रभावित क्षेत्रों में हानि का आकलन करना, हानि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीड़ितों को	एस.डी.एम/ तहसीलदार

	आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	
2.	प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था,	आयुक्त नगर परिषद / ईओ नगर पालिका
3.	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक
4.	कारकस डिस्पोजल, जानवरों के लिए ईलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हानि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
5.	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ
6.	प्रभावित विद्युत लाइनों का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7.	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड
8.	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	ए.पी.आर.ओ
9.	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की मांग पर जारी करना आगामी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था	एफ.सी.आई./वेयर हाउस
10.	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, उन्नत बीज की व्यवस्था, लोगों का मनोबल, बढ़ाना, कीटनाशक दवाओं की अतिरिक्त व्यवस्था। मृदा परीक्षण, किसानों को अधिक से अधिक पैदावारी की जानकारी हेतु डिमोस्ट्रेशन, फसलों के बीमा हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
11.	वित्तीय संस्थाओं यथा—ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव	वित्तीय संस्थान

	बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	
12.	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं ओलावृष्टि से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13.	चिकित्सा व्यवस्था करना।	पीएमओ/सीएमएचओ

4.8 बिजली का गिरना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस
2.	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवों की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3.	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4.	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5.	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल. /महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

4.9 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के अन्दर असंतुलन आंतरिक हलचल या ध्वंस, धरातल के सिकुडने पृथ्वी तल में परिवर्तन अथवा फेर बदल के कारण आता है। भूकम्प एकाएक बिना पूर्व सूचना के आते हैं इनके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। भूकम्प के नुकसान रोकने अथवा कम करने संबंधी कुछ निवारक उपाय किये जाने आवश्यक हैं। भवनों, संचार माध्यमों, पानी की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं जीवन को बचाने संबंधी कार्यो को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भूकम्प के परिणाम स्वरूप वस्तुओं के गिरने, भवनों के आंशिक रूप से नष्ट होने और हल्के निर्माण आदि के विनाश से उत्पन्न मलबे के कारण अधिकतम समस्यायें पैदा होती हैं। भरतपुर जिला भूकम्प जोन – प्ट में है। यहाँ भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 प्लस हो सकती है।

4.9.1 भूकम्प निवारक उपाय

भूकम्प से मकानों में क्षति न हो अथवा कम क्षति हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत अभियन्ताओं एवं विशेषज्ञों की देखरेख में भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण किया जावे। बने हुए भवनों में भी भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक से सुधार किया जावे।

घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ पर आप ज्यादा समय गुजारते हैं, सुरक्षित स्थान देख लें। भूकम्प के समय जितनी कम दूरी आपको तय करनी पड़ेगी उतने ही सुरक्षित आप होंगे। भूकम्प कहीं भी किसी भी समय आ सकता है इसके लिए तैयार रहें ८

बच्चों को भी स्कूल के अंदर या आसपास सुरक्षित स्थानों के बारे में अवगत कराएँ ताकि भूकम्प के समय वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें।

ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित बक्से में रखें। आपातकाल के लिये आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, दवाईयाँ आदि सुरक्षित स्थानों पर रखें। परिवारों के सभी सदस्यों को आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जावे।

4.9.2 भूकम्प से पूर्व के उत्तरदायित्व

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	भूकम्प की सूचना/पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना	ए. पी. आर. ऑ.
2.	विभिन्न प्रकार के भवन आदि के निर्माण और डिजाइन संबंधी संहिता को लागू करना	नगरपरिषद /सा.नि.वि./सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, डीग
3.	भूकम्प इंजीनियरिंग के सिद्धान्त व संहिता के प्रयोग के लिये वास्तुकार एवं इंजीनियर को प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. डीग
4.	पहले से बने हुए मकान आदि के सुदृढता का विकास करना।	नगरपरिषद /सा.नि.वि./सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, डीग
5.	भवनों के निर्माण एवं पुर्नद्वार एवं सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये भूकम्प संबंधी बीमा करवाना।	समस्त कार्यकारी एजेन्सी एवं बीमा कम्पनियां डीग
6.	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम का आंकलन कर भूकम्प से सुरक्षा सावधानियों जानकारीयों उपलब्ध कराना, जन जाग्रति पैदा कराना,	जिला सौख्यकी अधिकारी/ए. पी. आर. ऑ.

7.	भूकम्प प्रतिरोधी मकान बनाने संबंधी सरल तकनीक की प्रदर्शनियां लगाना, भूकम्प प्रतिरोधी मकानों के नमूनों का प्रदर्शन	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी
8.	कारीगरों को भवन निर्माण में भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक अपनाने का प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी

4.9.3 विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	भूकम्प की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना।	ए. पी. आर. ओ .
2.	मौसम विभाग से भूकम्प की सूचना जिला कलक्टर, को प्राप्त होते ही उपखण्डाधिकारियों को सूचित करना	अति.जिला कलक्टर
3.	भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के घेराबन्दी करने संबंधी प्रबंध	पुलिस अधीक्षक डीग
4.	भूकम्प प्रभावित स्थलों को खाली कराने का प्रबंध।	एस.डी.ओ./क्षेत्र के पुलिस अधिकारी
5.	मृतक एवं जानवारों के कंकालों को एकत्रित कर निस्तारण की कार्यवाही। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ ग्राम पंचायत
6.	चिकित्सा , भोजन, पानी की आपूर्ति, टेन्ट, मैटल की चद्दरे उपलब्ध कराना, अस्थाई शरण स्थलों का प्रबंध।	डी.एस.ओ. /सी.एम.एण्ड.एच. ओ./पी.एम. ओ. /अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
7.	परिवहन संबंधी संसाधनों को उपलब्ध कराना।	डी.टी.ओ. डीग
8.	भूकम्प से कितना नुकसान हुआ का आकलन।	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार
9.	चोरी लूट, आदि की संभावनाओं को कम करने के लिये सैना व पैरा	पुलिस अधीक्षक डीग

	मिलिट्री की मदद।	
10.	घायलों की चिकित्सा, महामारी से बचने के लिये टीकाकरण की व्यवस्था। मोबाईल चिकित्सा यूनिट का प्रबंध	सी.एम.एण्ड.एच.ओ./पी.एम.ओ
11	राशन, कपड़े, बर्तन आदि का वितरण।	डी.एस.ओ
12.	महिला और बच्चों के पुनर्वास आदि की व्यवस्था।	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस
13.	कृषि संबंधी पुनर्स्थापना, कृषकों को बीज/फसल कटाई हेतु सहायता/खाद्य/औजार/कृषि उपकरण/क्षति ग्रस्त पशुशालाओं का निर्माण/पशु शिविर/ पशुधन की निरोधक चिकित्सा	उपनिदेशक, पशुपालन/ उपनिदेशक कृषि
14.	शैक्षिक क्रियाकलापों का पुनर्जीवन	जला शिक्षा अधिकारी (मा.) I, II एवं प्राथमिक शिक्षा

4.9.4 पुनर्वास

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1.	नये स्थानों पर विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायते
2.	नये स्थानों पर पुनर्वास होने तक अस्थाई आश्रयों की व्यवस्था।	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायते
3.	अनाथ बच्चों और विधवाओं का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण/उप निदेशक शिक्षा
4.	सार्वजनिक सम्पत्तियों का पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायते

5.	निशुल्क/रियायती दर पर जैसा सरकार का निर्णय हो भवन निर्माण सामग्री की व्यवस्था।	एस.ई. पी.डब्ल्यू.डी. डीग
6.	रोजगार की व्यवस्था	कार्यकारी संस्थायें
7.	कारीगरो का पुनर्वास	कार्यकारी संस्थायें
8.	अभिघातोत्तर तनाव विकार के लिये परामर्श व्यवस्था	सी.एम.एण्ड.एच.ओ./पी.एम.ओ./स्वयंसेवी संगठन
9.	अस्थाई शरणगृह	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायते
10.	विकलांग व अक्षम व्यक्तियों का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण

4.10 खान में आग लगना

जिले में रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थों, कोयला आदि की खाने नहीं हैं केवल पत्थर की खाने हैं इसीलिये खान में आग लगने की घटनायें नहीं होती हैं फिर भी इस तरह की घटना होने पर त्वरित कार्यवाही कर दी जावेगी द्य

4.11 रसायनिक विपदा

जिला डीग में परमाणु एवं जैविक, रासायनिक हमले के समय अपनाई जाने वाली बचाव व मानक कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:-

1. जैविक हमले के समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये जिला पुलिस के पास 161 वायरलैस सैट, वन विभाग के पास 5 वायरलैस सैट उपलब्ध है, जिनको आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है।
2. हमले के दौरान सहायता कैम्प लगाने के लिये नगर परिषद डीग टेण्ट, जनरेटर आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगे।

4.12.1 उत्तरदायी विभाग/अधिकारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1.	रिहायशी बस्तियों की योजना उद्योगों के पास नहीं बनाई जावे।	आयुक्त नगर परिषद, सचिव नगर सुधार न्यास,

2.	हानिकारक उद्योगों का चिन्हीकरण तथा आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था	अति० जिला कलक्टर , जी०एम० डी०आई०सी, निरीक्षक वायलर, सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी
3.	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों की पालन	अति० जिला कलक्टर , जी०एम० डी०आई०सी, निरीक्षक वायलर, उपखण्डाधिकारी, श्रम अधिकारी
4.	औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रभाव की जानकारी, प्रचारित करना कि दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है	श्रम अधिकारी, पी०आर०ओ०
5.	सुरक्षा उपायों की अनुपालना	श्रम विभाग

4.13 परमाणु विपदा

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मिता के मानवजीवन, पशु-पक्षियों व वनस्पतियों पर प्रभाव का आकलन करना तथा प्रभाव को कम करने के तत्कालीन उपाय	सीएमएण्डएचओ चिकित्सा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, उप निदेशक पशुपालन विभाग
2	कम्प्यूनिक्शन, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अफवाओं का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक डीग
3	आस-पास के क्षेत्रों को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उद्घोषण, शरण स्थलों का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम./तहसीलदार (समस्त) जिला डीग
4	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम	सहायक कमाण्डेंट होमगार्ड,

	का गठन एवं संबंधित सेवाओं को सूचना का प्रेषण।	
5	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी,
6	कारकस डिस्पोजल, मृतको के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेटर्स की व्यवस्था, शरण स्थलो की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगो को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	आयुक्त नगर परिषद डीग/नगरपालिकायें जिला डीग
7	एम्बूलेस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओं का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ़ का सृजन इत्यादि।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डीग
8	ट्रेक्टर, डम्पर व मजदूरों की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., डीग
9	शरण स्थलो व रास्तो में पाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
10	विद्युत के प्रसारण की सुचारु व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता, जे.वी.वी.एन.एल डीग
11	रेस्टोरेशन कार्य	नगर परिषद डीग
12	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारु करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधक दूरसंचार, डीग
13	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पिटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के संचालन में मदद करना,	जिला पुलिस अधीक्षक डीग
14	घायलों का परिवहन, अस्पताल सेवाय	स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, डीग
15	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन

4.14.2 आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें

- 1 – परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटने के लिये प्रशिक्षण दें ।
 - 2—आग लगने पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें। फोन नम्बर 101
 - 3—बिल्डिंग में आग लगने पर लोगो को निकालने के लिये हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
 - 4— जब यह निश्चित हो जावे कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बन्द कर दें।
 - 5—बिल्डिंग में आग लगने के बाद तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुँच जायें ।
 - 6—अगर संभव हो सके तो नाक व मुँह को गीले कपड़े से ढक लें।
 - 7—सावधानी पूर्वक निर्देश कर्ता के आदेशों का पालन करें।
 - 8—अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है, तो अपने कमरे मे ही रहें।
 - 9—नेतृत्व कर्ता को बिल्डिंग छोडने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो । यहाँ तक कि वाथरूम की भी जाँच कर लेनी चाहिये।
 10. संभावित आग लगने वाले खतरनाक बिन्दुओं का चिन्हित कर आग लगने की संभावना को कम कर देना चाहिये ।
 - 11—आग लगने पर मकान की छत पर न जायें ।
- क्या न करें
- 1— गैस, स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम मे न लें।
 - 2— मकान की छत पर न जायें
 - 3—लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
 - 4—गाँव में घास फूस की झोपडियों के आस – पास जलती माचिस की तीलियाँ, जली हुई बीड़ी, सिगरेट न फेंके ।

4.14.3 ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपदा प्रबन्धन योजना

जिले में कुछ क्षेत्रों में आबादी बहुत दूर बसी हुई । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 1482 आबाद ग्राम हैं तथा ग्रामीण आबादी 2053363 है । आज भी गांवों में लोगो के कच्चे मकान है। स्थानीय उपलब्ध सामग्री से बने होते हैं ये घर आपस में मिले हुए होते हैं। जिससे यदि एक बार अग्नि दुर्घटना होती है तो बहुत सारे परिवार इसकी चपेट में आ जाते हैं।

दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि शमन के मंहगे संयंत्रों को स्थापित करना न तो आर्थिक रूप से सम्भव है और न ही उन्हें संधारित किया जाना संभव है । स्थानीय अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना प्रासंगिक है।

4.14.4 पूर्व तैयारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	तहसील मुख्यालय से संबंधित ग्राम की दूरी तथा वहां से तहसील पहुंचने के समय का आंकलन रास्तों की स्थिति आदि की सूचना तथा अग्नि शमन वाहन के लिए रास्ते आदि की उचित व्यवस्था	स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक, पटवार
2	सार्वजनिक व निजी जल स्रोतों की उपलब्धता	सरपंच, सचिव, जलदाय विभाग का स्थानीय प्रभारी
3	स्वयं सेवकों की सूची तहसीलदार को उपलब्ध कराना	पटवारी
4	ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध अग्नि शमन संसाधन तैयार रखना	सरपंच, सचिव
5	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल/सार्वजनिक भवन का चिन्हीकरण	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों को तैयार रखना	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक

4.14.5 विलेज फायर की सूचना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1.	गांव में आग लगने की सूचना निकट तहसील, उप तहसील मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन को देना	पटवारी, सचिव
2.	स्थानीय संसाधनों से अग्नि बुझाने का तात्कालिक प्राथमिक कार्य	ग्राम सेवक, सरपंच, स्थानीय पाठशाला का प्रधानाध्यापक एवं पटवार

4.14.6 उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा तत्काल की जाने वाली कार्यवाही

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1.	ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को मौके पर पहुंचाने की कार्यवाही	तहसीलदार
2	दुर्घटना की सूचना जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
3	उपलब्ध संसाधनों से अग्नि शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी
4	घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं गंभीर रूप से घायलों को उच्चिकृत चिकित्सालयों में रेफर कराना तथा चिकित्सकों एवं दवाइयों की व्यवस्था कराना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5	अग्नि से हुई हानि का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
6	अग्नि दुर्घटना में पीड़ित परिवार जिनका सबकुछ नष्ट हो गया है, उनके भोजन, आवास आदि की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी
7	माह अप्रैल-जून में अग्नि से जलकर घायलों की स्थानीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8	सहायता राशि का वितरण	तहसीलदार

4.15 बम विस्फोट

आज के युग में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है । आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिये आमतौर पर अपनाये जाने वाली प्रक्रिया, बम विस्फोट है । इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना, तथा जानमाल की हानि पहुँचाना है । ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं । जहाँ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट आर. डी. एक्स., सी. – 3, सी. – 4, पी.ई.के., डेटोनेटर आदि के हो सकते हैं।

4.15.1 पूर्व तैयारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	परिसर में आने जाने वाली गाड़ियों का रिकार्ड रखे एवं ड्राइवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करे तथा अगर हो सके तो एक टोकन जारी किया जावे।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी

2	सुरक्षा कर्मियों द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाड़ियों की जाँच-पड़ताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे उनका बोनट, डिकी एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
3	कार्यालय की गाड़ियों के ड्राइवरो को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले जाँच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाड़ियों की पार्किंग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
4	ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गईं जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
5	ऐसी जगह जहाँ पर आना-जाना कम हो उस जगह का खास ख्याल रखते हुए निरीक्षण करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
6	स्टॉफ के लोगो की गतिविधियों एवं उनके चाल-चलन पर नजर रखें एवं निरीक्षण करें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
7	ऐसे कर्मचारी (स्टॉफ) जो कि असंतुष्ट हो, उन पर खास तौर से नजर रखें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
8	ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
9	स्टॉफ व आगन्तुको के लिए वाहन पार्किंग स्थल अलग-अलग जगह पर निश्चित करें और ऐसी जगह बनाये जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खड़ा करने दिया जावे।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
10	आने व जाने के लिए एक ही मुख्यद्वार की व्यवस्था हो।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
11	एक इमरजेन्सी द्वार की व्यवस्था हो जिसकी जानकारी पूरे स्टाफ को हो।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
12	आम व्यक्तियों को परिसर के सीमित इलाकों में ही आवाजाही की इजाजत होनी चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी

13	सभी कर्मचारियों (स्टाफ) के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
14	अगर भण्डार कार्यालय परिसर में हो तो वहाँ आवाजाही पर पूरी तरह नियंत्रण होना चाहिये। कुशल कर्मचारियों द्वारा उसका निरीक्षण करते रहना चाहिये।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी
15	सफाई कर्मचारियों को स्टाफ की उपस्थिति में ही सफाई करने को कहें।	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी

4.15.2 बम विस्फोट होने के बाद के कार्य

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, बम्ब निरोधन दस्ते, खोजी कुत्तों का प्रबंध, अफवाओं का रोकना	जिला पुलिस अधीक्षक डीग
2	आस-पास के क्षेत्रों को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उद्घोषण, शरण स्थलों का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम./तहसीलदार (समस्त) जिला डीग
3	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओं को सूचना का प्रेषण।	सहायक कमाण्डेंट होमगार्ड, डीग
4	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, डीग
5	कारकस डिस्पोजल, मृतकों के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेटर्स की व्यवस्था, शरण स्थलों की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगों को निकालना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था	नगरपरिषद डीग/नगरपालिकायें जिला डीग

6	एम्बुलेंस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओं का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ़ का सृजन इत्यादि।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग
7	टूटे हुए मकानों की मरम्मत की व्यवस्था, मलवा हटाने की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त इमारतों को तोड़ने की व्यवस्था, ट्रेक्टर, डम्पर व मजदूरों की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., डीग
8	शरण स्थलों व रास्तों में नाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
9	विद्युत के संचार की सुचारु व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल. डीग
10	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार न्यास, डीग
11	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारु करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधन दूरसंचार
12	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पिटल सेवाएँ। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हेड क्वार्टर, सेवर/कमाण्डेट एम्यूनेशन डिपो, डीग
13	घायलों का परिवहन, अस्पताल सेवाएँ	स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, डीग
14	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम

4.15.3 पुर्नवास

अचानक हुए बम विस्फोट में काफी जन, धन की हानि होती है। ऐसी घटनाओं में मृतकों के परिजनों के पुर्नवास की आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवारों का पुर्नवास एवं तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बम विस्फोट में मृतकों के परिजनों को तात्कालिक सहायता मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराना	(समस्त) तहसीलदार जिला डीग

4.17 सड़क दुर्घटना

डीग जिले की प्रमुख सड़कें, भरतपुर-डीग- नगर-अलवर रोड, भरतपुर-डीग-कामां -नन्द गॉव रोड, भरतपुर-मथुरा रोड, हैं उक्त सभी सड़को पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो तकरीबन सभी सड़को के पॉच से दस किलोमीटर दूरी पर गॉव मौजूद हैं जिनमें दूरभाष एवं वाहन सुविधा मौजूद है। निकटस्थ गांव के टेलीफोन से दुर्घटना की सूचना पास के पुलिस थाने एवं अस्पताल में पहुँचाई जावे। जिले के पुलिस थानों और अस्पतालों के नम्बर, आपदा प्रबंधन योजना में उपलब्ध हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के प्रभारी अधिकारी एम्बूलेंस, पैरा मैडिकल स्टॉफ, एवं उपचार हेतु आवश्यक दवाओं के साथ दुर्घटना स्थल रवाना हो जावेंगे। इसी प्रकार दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाने, चौकी प्रभारी, घटना स्थल पर पहुँच कर घायलों को अस्पताल पहुँचाने में मदद करेंगे और कानूनी कार्यवाही पूरी करेंगे। अतः ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही यदि कोई सूचना पुलिस जिला प्रशासन आपदा विभाग या जनसाधारण द्वारा प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग तुरन्त घटना स्थल पर उपलब्ध संसाधनों सहित मदद हेतु पहुँच जावेगा।

4.18 खान में बाढ़ आना व ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	कम्प्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था रिकवरी वेन, कम्फर क्रेन, गैस कटर, प्रभावित क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था	पुलिस विभाग
2	मोबाईल टीमो का गठन ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रखना। घटना स्थल पर मैडिकल शिविर स्थापित करना, ऑक्सीजन सिलेण्डर, एम्बूलेंस व भारी मात्रा में घायलों के परिवहन की व्यवस्था, हड्डी व मनोरोग विशेषज्ञों की अतिरिक्त व्यवस्था। मोस्टमार्टम व्यवस्था,	सी.एम.एण्ड.एच.ओ / पी.एम.ओ.
3	जनरेटर, पम्पसेट्स डीवाटरिंग व्यवस्था	जलदाय विभाग
4	जे.सी.वी. एल.एन.टी. क्रेन व अन्य बचाव संसाधनों की व्यवस्था	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	डीवाटरिंग पम्पसेट्स, ट्रेक्टर्स, ज.सी.वी. क्रेन रस्से ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर, मास्क सहित डायवर्स की व्यवस्था करना	नगरपरिषद
6	अस्थाई टेलीफोन लाइनो की व्यवस्था महत्वपूर्ण लाईनो की व्यवस्था	टेलीफोन विभाग
7	एल.एन.टी.जे.सी.वी. कम्प्रेसर क्रेन डम्फर ट्रेक्टर्स, आदि की व्यवस्था साहसी कार्यकर्ताओं की व्यवस्था खनिज ठेकेदारों की सूची व क्षेत्र की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, खान में कार्यरत मजदूर व कर्मचारियों की बीमा की व्यवस्था।	खान विभाग

8	क्षेत्र में हुई हॉनि व जन हॉनि का आंकलन पीडितों को आर्थिक मदद राहत सामग्री की व्यवस्था सही सूचना का संग्रहण व प्रेषण	एस.डी.एम. व तहसीलदार
9	प्रशासनिक मांग के अनुसार परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था	परिवहन विभाग

4.19 मुख्य भवनों का ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	बहुमंजिली इमारती क्षेत्रों में तथा शहर के अतिव्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाइड्रेंट की समुचित व्यवस्था	आयुक्त, नगर परिषद,
2	सिनेमाहाल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनीहाल, स्कूल आदि के निरीक्षण वर्ष में दो बार	अतिरिक्त कलक्टर, शहर,
3	बहुमंजिली इमारत के निर्माण में आई0एस0 कोड, एन0बी0ओ0 कोड की अनुपालना	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
4	बहुमंजिली भवन, सँकड़ी गलियों में नहीं बनाये जावें, जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती हों वहाँ बहुमंजिली भवनों की अनुमति किसी भी हालत में न दी जावे।	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
5	बहुमंजिली भवनों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था हेतु भवन	उपखण्ड अधिकारी,
	मालिकों को पाबन्द करना तथा इस व्यवस्था के निरीक्षण करना	नगर सुधार न्यास, नगर परिषद,

4.20 महामारी परिचय :- किसी भी समुदाय में किसी रोग के सामान्य से अधिक रोगी पाये जाने को महामारी कहते हैं। महामारी होने की संभावना रोग का कितना प्रभाव है। रोग फैलने के कारकों व नियंत्रित करने वाले प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। महामारी के मूल प्रश्न हैं। रोग कब प्रारंभ हुआ (समय) रोग कहाँ से प्रारंभ हुआ कौन लोग प्रभावित हुये रोग होने का कारण नियंत्रण करने एवं बचाने के प्रभावी उपाय। महामारी जनित आपदा की स्थिति में आवश्यक संसाधन यथा धन, व्यक्तिगत देखभाल करने वाले प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकीय सहायता, प्रयोगशाला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दल का गठन, टीकाकरण, स्वच्छ वातावरण, चिकित्सीय व राहत सामग्री, यातायात के साधन, संचार के साधन, जन साधरण की भागीदारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी।

4.20.1 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की योजना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	आपात कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता निश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग जिला अस्पताल एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी

2	आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग
3	पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग
4	आपात कालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग
5	जन साधारण को प्रशिक्षित करना।	स्वास्थ्य कार्यकर्ता
6	स्थिति संबंधी मूल आंकड़ों की सूचनायें खतरे की तुरन्त सूचनाओं के संकेत।	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग एवं प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीग
7	आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आंकलन।	जिला सॉरिथिकी अधिकारी, मैडिकल एडमिस्ट्रेशन और सी.पी.ओ. डीग
8	मच्छर या जलजनित बीमारियों की रोकथाम में छात्रों एवं अध्यापकों/ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से जनसाधारण को इन रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी देकर सचेत/जागरूक करना।	शिक्षा/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्थायें।
9	गांव में पानी के छोटे/बड़े गड्ढों में नरेगा के माध्यम से मिट्टी भरवाना ताकि पानी एकत्रित ना हो। साथ ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना।	अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
10	जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु क्लोरीनेशन करवाना एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाना।	पीएचईडी/स्थानीय प्रशासन तहसीलदार
11	महामारी को रोकने में स्थानीय जनता एवं प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग को सहयोग देना।	पीएचईडी/शिक्षा/कृषि/पंचायत राज विभाग

4.21 टिड्डी दल आक्रमण

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
---------	-------	-----------------

1	टिड्डियों के प्रजनन क्षेत्र पर निगरानी	कृषि विभाग,
2	टिड्डी आने की स्थिति में पूर्व चेतावनी से कृषकों को अवगत कराना तथा ऐतिहासिक उपाय।	कृषि विभाग,
3	टिड्डियों को दवाई छिड़ककर समाप्त करने की व्यवस्था	कृषि विभाग एवं जिला कलक्टर,
4	टिड्डी द्वारा की गई हानि का आंकलन	तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी
5	कानून व्यवस्था बनाये रखना	पुलिस विभाग
6	कृषकों को हुये नुकसान का अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी, एवं जिला कलक्टर

4.22 जानवरों की महामारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बीमारी की सूचना का प्रसारण, पशु चिकित्सालय को निर्देश	एस.डी.एम.
2	क्षेत्र में शिविर लगाने की व्यवस्था, गौशाला आदि की व्यवस्था, मोबाइल टीमों का गठन, अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था, पोष्टिक आहार की व्यवस्था, हॉर्न का आंकलन, पशु बीमा की सलाह	पशुपालन विभाग
3	मृत पशुओं का निस्तारण	नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्राम पंचायत
4	गांव में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था,	जलदाय विभाग
5	हरे चारे से फैलने वाली पशुओं की बीमारी की जानकारी देना, चारे से संक्रमण फैलने वाली बीमारियों की दवा की व्यवस्था	कृषि विभाग

4.23 आतंकवादी गतिविधियाँ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी

1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था, बम निरोधक दस्तों का व्यापक गठन, सभी इन्टेलीजेन्स एजेन्सीज से निरंतर तालमेल, बुलेट प्रूफ संसाधन, क्विक रियेक्सन टीम मय हथियार जो हर समय तैयार रहे, आर्मी व अन्य वर्दीधारी सेवाओं को तुरंत सूचना का संप्रेषण	पुलिस अधीक्षक, डीग
2	पुलिस की मदद करना,	डिप्टी कमाण्डेंट हॉमगार्ड, डीग
3	क्षेत्र में हुई हानि का आकलन, जनहानि का आकलन, पीड़ितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री की व्यवस्था, सही सूचना का संग्रहण व संप्रेषण, जन सहयोग की अपेक्षा का आह्वान, पीड़ितों के शरणस्थलों की व्यवस्था, प्रेसनोट जारी करना, संवेदनशील स्थानों का चिह्निकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था ।	जिला कलक्टर/ ए.डी.एम. (प्रशासन) /एस.डी.एम./तहसीलदार समस्त जिला डीग
4	अग्निशमन वाहन मय फायरमैन, रैस्क्यूइक्विपमेण्ट, पानी के टैंकर, क्रेन, डम्पर, जनरेटर, संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सुरक्षा हेतु प्रशासन को अवगत कराना,	आयुक्त नगरपरिषद डीग, जिले की नगरपालिका
5	पुनर्स्थापना, बैरीकेटिंग, जेसीबी, क्रेन, डम्पर की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
6	दवाई, बिस्तर, एम्बुलैन्स, एवं घायलों की चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7	वाहनों की व्यवस्था	जिला परिवहन अधिकारी,
8	पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, शिविरों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी,

4.24 उपद्रव, दंगे, बलवा, त्योहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था ।	पुलिस अधीक्षक, डीग

2	स्वयं सेवकों की व्यवस्था एवं पुलिस की मदद	पुलिस अधीक्षक, डीग
3	एरिया मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, कानून व्यवस्था का सुनिश्चित, घटना स्थलों का भ्रमण व संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, व्यवस्था पर निरंतर निगरानी, घायल व पीड़ितों की हानि का आंकलन, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	जिला मजिस्ट्रेट / ए.डी.एम. (प्रशासन) / एसडी.एम. / तहसीलदार समस्त जिला डीग
4	अग्नि शमन वाहन व प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था, उत्सव स्थल पर दुकानों व खाद्य प्रदार्थों का नमूनीकरण, डी.डी.टी. का प्रयोग व पानी के स्रोतों में लाल दवा का प्रयोग तथा पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था, प्रशासन व कानूनी व्यवस्थाओं में लगे विभागों की जानकारी, व तालमेल जनरेटर, ट्रेक्टर्स, व वाटर टेक, डम्पर आदि की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था।	आयुक्त नगरपरिषद डीग, जिले की नगरपालिकाएँ
5	मोबाईल टीमो का गठन, डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ की व्यवस्थाएँ, एम्बुलेस व अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था अस्थाई मैडिकल बूथ की स्थापना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डीग
6	घटना स्थल पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग, डीग
7	विद्युत तारों को कसना एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. डीग
8	सही सूचनाओं का प्रकाशन, अस्थाई घोषण कक्ष की स्थापना	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, डीग
9	महत्वपूर्ण टेलीफोन लाईनों का रखरखाव	जिला प्रबंधक बी.एस.एन.एल. / निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता
	पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, डीजल को आरक्षित कोटा रखने के लिये पाबन्द करना, स्वयं सेवी संस्थाओं को रियायती दर पर खाद्य सामग्री का प्रबंध	जिला रसद अधिकारी, डीग

अध्याय – 5 पूर्व तैयारी

प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता परन्तु समय रहते सजगता का परिचय दिया जावे, तो आपदा से होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिये जिले की पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में जिले में उपलब्ध मानव एवं बचाव संसाधनों का विस्तृत विवरण अध्याय सं0 4 में उपलब्ध है। विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली पूर्व तैयारी का विवरण निम्नानुसार है:-

मानसून पूर्व की तैयारी

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून पूर्व तैयारी
1	जिला कलक्टर डीग	संभावित बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों की सूची तैयार कराना, क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय ट्रेक्टरों, पम्प सेटों, नावों, तैराक स्वयं सेवकों की सूची तैयार कराना, संबंधित विभागों की बाढ़ की पूर्व तैयारी की समीक्षा एवं मोनिटरिंग
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	समस्त प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण करना तथा मानसून पूर्व कराये जाने वाले कार्य का चिन्हीकरण कर मरम्मत कराया जाना। नदी में कैनाल हैड पर क्रास बन्द बनाने, नहरों की डीसिल्टिंग, कमजोर तट बन्दों की मरम्मत के के प्रस्ताव तैयार करना तथा सम्पादन 15 जून से पूर्व कराया जाना। 15 जून से पूर्व समस्त गेटों की जाँच कर आवश्यक मरम्मत तथा ऑयलिंग व ग्रीसिंग कराना। 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्षों को सौपना तथा टेलीफोन व वायर लैस सैटों की स्थापना सुनिश्चित करना। मानसून सत्र में आवश्यक सामग्री का भण्डारण एवं 15 जून तक की सभी चिन्हित स्थानों पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, डीग	सड़क मार्ग में प्राकृतिक ड्रेनेज की पुलियों, काजवे इत्यादि के निरीक्षण कर आवश्यक सफाई मरम्मत कार्य कराये जाकर बहाव क्षेत्र को सुरक्षित बनाना काजवे पर गेज लगाना, जिले के मार्गों (सड़कों) का मानचित्र तैयार करना।
4	मण्डल /जोन अधिकारी, रेलवे विभाग	रेल मार्गों से क्रास हो रहे नाले, नदियों के सी.डी. वर्क्स एवं तटबंधों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराया जाना।

5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था तथा पीने के शुद्ध पानी हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था बावत प्लान तैयार करना।
6	चिकित्सा विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था एवं कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाले जाने की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गुजर रही पावर लाइनों को खिंचवाना तथा बाढ़ के दौरान करन्ट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करने तथा सप्लाई बनाये रखने हेतु प्लान तैयार करना।
8	उप निदेशक पशुपालन विभाग	पशुओं को बाढ़ के दौरान चारा आपूर्ति व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।
9	जिला रसद अधिकारी	बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा पेट्रोल, डीजल मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु कोटा आरक्षित करने बावत प्लान तैयार करना।
10	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, डीग	नगर परिषद व नगर न्यास क्षेत्रों में बहने वाले पानी के निकास के नाले नालियाँ आदि के बहाव क्षेत्र की सफाई कराई जाकर सुरक्षित करना तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

बाढ़ से पूर्व की तैयारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष जिले में बाढ़ नियंत्रण हेतु 15 जून से नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हित केन्द्रों को वायरलैस तथा टेलीफोन दोनों सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है। इनके अतिरिक्त जिला कलक्ट्रेट मुख्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ-साथ प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम जिले में बाढ़ आपदा के दौरान सूचना का आदान-प्रदान करना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु आवश्यक सूचना माध्यमों को चिन्हित किया गया है ताकि शीघ्रतिशीघ्र सूचना प्रसारित की जा सके तथा त्वरित बचाव कार्य समय रहते कराये जा सकें। ऐसे माध्यमों की सूची निम्नानुसार दर्शित है।

पूर्व चेतावनी व्यवस्था जिले में बाढ़ नियंत्रण हेतु विभिन्न मुख्य-मुख्य स्थानों पर सिंचाई विभाग द्वारा 22 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं जो 15 जून से कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 30 सितम्बर तक स्थापित रहते हैं। इनके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। इनके साथ डीग जिले में प्रवेश से पूर्व एक प्रमुख नदियोरूपारेल पर दूसरे जिलों के नियंत्रण कक्ष मय दूर संचार/वायरलैस सुविधा के स्थापित किये जाते हैं तथा सिंचाई विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष हाइड्रोलोजी युनिट जयपुर में स्थापित किया जाता है।

वर्षा सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 बजे स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिले के समस्त क्षेत्र की वर्षा एवं गेजों की सूचना प्राप्त की जाती है तथा प्राप्त सूचना प्रातः 10 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष जयपुर को भेजी जाती है। इसी तरह बाढ़ के पानी के नियंत्रण एवं संग्रहण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन्हीं नियंत्रण कक्षों के माध्यम से सूचना दी जाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मानसून काल में मय मौसम विभाग जयपुर से समय-समय पर चेतावनी मुख्य नियंत्रण कक्ष, जयपुर के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसकी अविलम्ब सूचना स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से कार्यरत प्रभारी अधिकारियों को दी जाती है।

प्रभावी बाढ़ नियंत्रण हेतु नदियों के जिले में विद्यमान गेज स्टेशनों तथा अप स्ट्रीम में दूसरे जिलों में स्थापित गेट स्टेशनों के गेजों के आंकड़े लिये जाकर तैयार ग्राफ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संभावित गेज एवं पानी की मात्रा तथा पानी पहुँचने की अवधि का आंकलन कर बाढ़ पूर्व की चेतावनी सूचना तथा दिशा-निर्देश नियंत्रण कक्षों के माध्यम से क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रसारित किये जाते हैं तथा सभी संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना अमल में ली जाती है बाढ़ आपदा की स्थिति में विभिन्न तहसीलों पर स्थापित प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों को एलर्ट कर संभावित प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध हरसंभव संचार/सूचना/सरकारी मशीनरी गैर सरकारी संस्थाओं/जन सेवकों के माध्यम से सूचना गांवों तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाई जाती है ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सकें।

संभावित बाढ़ की स्थिति में नियंत्रण कक्षों को 24 घण्टे खुले रखकर हर आधे घण्टे पर गेजों एवं फील्ड की स्थिति प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्य योजना अमल में ली जाती है जिसके लिये विभिन्न विभागों के दायित्व अगले पैरा में दर्शाये गये हैं, जिसमें बाढ़ पूर्व, दौरान एवं बाढ़ के बाद में ली जाने वाली योजना विभिन्न विभागों द्वारा अमल में लाई जावेगी।

सूखा

Preparedness of Contingency Plan

1. Water . सूखा की स्थिति में जिले के प्रभावित क्षेत्रों टेंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

2. Health .

- **पशुपालन विभाग** – डीग जिले में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु 01 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जिनमें बीमार पशुओं को विभिन्न प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में कोई आउटब्रेक की सूचना नहीं है।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें** – किसी भी आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर एक रेपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम मय समुचित औषधियों के आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में प्रस्थान कर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी। जिला मुख्यालय की टीम के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। सामान्य चिकित्सालय एवं सभी राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को रोगियों के उपचार हेतु वार्डों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं। जिले के सभी 6 ब्लॉकों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

3. Power/Energy -

- जल स्रोतों के लिये विद्युत व्यवस्था को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार चालू रखने की व्यवस्था की गई है।

- जल स्रोतों के लिये स्थापित लाईन एवं ट्रांसफार्मर को खराब होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरुस्त करने हेतु वृत्त भण्डार में प्रचुर मात्रा में सामान रखा गया है।
- जलदाय विभाग द्वारा जमा पत्रावलियों के कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने हेतु सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिये गये हैं, जिसके लिये सामान की उपलब्धता को सहायक अभियन्ता कार्यालय में सुनिश्चित कर दिया गया है।
- कृषि के निर्धारित ब्लॉकों में विद्युत सप्लाई दी जा रही है तथा कृषि के लिये ब्लॉकों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में सूखा पड़ता है, तो राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित ब्लॉकों में समुचित विद्युत सप्लाई दी जायेगी।

• **सूखा से पूर्व तैयारी**

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	भू राजस्व नियमावली के अनुसार फसलों की गिरदावरी एवं आपदा की सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराना	ग्राम पटवारी
2	मौसम पर निगाह रखने का कार्य, संकेतों की पहचान और क्षेत्र की आवश्यक जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना	गिरदावर
3	पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी का व्यापक परीक्षण, वर्षा का मापन, मौसम के मिजाज एवं फसलों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपखण्डाधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा	तहसीलदार
4	क्षेत्र के किसी विभाग में फसलों में भारी खराबा होने की सम्भावना हो अथवा खराबा दिखाई देने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो तत्काल मौके पर पहुँच कर अपने अवलोकन व परिमाणों की रिपोर्ट कलक्टर को देना	उपखण्ड अधिकारी
5	जिले की वर्षा, मौसम सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट, वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों की प्रगति, खाद्यान्न एवं चारा मूल्यों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव, कीड़ों द्वारा फसल में की गई हानि, पशुओं को पीने के पानी की आपूर्ति आदि का साप्ताहिक नोट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।	प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख, अति० कलक्टर, प्रशासन
6	भू अभिलेख नियमावली के अनुच्छेद 328 में दिये निर्देशानुसार स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन सहायता, विभाग को प्रस्तुत करेंगे। मौसम के आरम्भ में वर्षा की प्रगति, और कृषि कार्यों का अन्वेक्षण जिला स्तरीय वेदरवाच गुप करेगा	जिला कलक्टर

7	जिले के किसी भी भाग में संकट के प्रारंभिक संकेत दृष्टिगोचर होने लगे तो साप्ताहिक स्थिति, सहायता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।	जिला कलक्टर
---	--	-------------

लू बहुत अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने अथवा कार्य करने से मस्तिष्क की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक गर्मी होने के कारण लू लगती है।

गर्मी के प्रभाव (HEAT-Exhaustion) सिर में दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उलटी, कमर में दर्द, शक्तिहीनता, मूर्छित हो जाना, चमड़ी पीली, ठण्डी व गीली व चिपचिपी होना। शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक हो जाना। सांस की गति तेज व सांस छिछली होना। नाडी की गति तेज व दबाव कम होना।

लू लगना (HEAT Stroke) लू की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सिर में दर्द उलटी व व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चमड़ी लाल व गर्म हो जाती है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है। गर्मी एवं लू से बचाव ही उपाय है। सूर्य की तेज धूप में घूमने से बचें भोजन करके बाहर निकलें, खाली पेट धूप में न जायें, गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने व कठिन कार्य करने से बचें। सिर को ढक कर रखें। तरल पदार्थों का उपयोग करें। सुरक्षा के उपायों को ध्यान में रखा जावे।

लू से बचाव हेतु पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के बदलाव एवं दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एवं प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एवं सहा0/पीआरओ भरतपुर)	ए.पी.आर.ओ
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावों की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय-समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. जिला कलक्टर
3	स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगों के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन

6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाएँ।	समस्त उपखण्डाधिकारी, डीग
7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाएँ व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. / एस.पी., डीग
8	मजदूरी करने वालों के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ सिंचाई/विद्युत/नगर निगम /नगरपालिकायें/वनविभाग डीग
9	निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों/गैर सरकार संस्थाओं इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
10	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बों व गाँवों में सड़क के किनारों पर छायादार पेड़ लगाने का व्यापक अभियान व जगह-जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ सीईओ जिला परिषद/सा.नि.वि. /वन विभाग, डीग
11	जगह-जगह शेल्टर एवं शेड बनाने के लिए	पीएचईडी
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था/ प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एवं स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग

शीत लहर मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति सजग रहें। सावधानियाँ बरते, संचार माध्यमों से मौसम की जानकारी लेते रहें, कपड़े कई परतों में पहने, सिर ढक कर रहें, पशुओं को शेड आदि में रखें।

प्रशासन द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एवं पीआरओ)	ए. पी. आर. ओ.
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग
3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगों को जिनके शीतलहर से पीड़ित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप में शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला डीग
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगों को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, डीग
5	विभिन्न जन संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण तक समय-समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, डीग
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी.एस.ओ. डीग
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एवं सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं सड़ों से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

बिजली का गिरना

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस

2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवों की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल/महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

भूकम्प निवारक उपाय

भूकम्प से मकानों में क्षति न हो अथवा कम क्षति हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत अभियन्ताओं एवं विशेषज्ञों की देखरेख में भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण किया जावे। बने हुए भवनों में भी भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक से सुधार किया जावे।

घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ पर आप ज्यादा समय गुजारते हैं, सुरक्षित स्थान देख लें। भूकम्प के समय जितनी कम दूरी आपको तय करनी पड़ेगी उतने ही सुरक्षित आप होंगे। भूकम्प कहीं भी किसी भी समय आ सकता है इसके लिए तैयार रहें।

बच्चों को भी स्कूल के अंदर या आसपास सुरक्षित स्थानों के बारे में अवगत करायें ताकि भूकम्प के समय वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें।

ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित बक्से में रखें। आपातकाल के लिये आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, दवाईयाँ आदि सुरक्षित स्थानों पर रखें। परिवारों के सभी सदस्यों को आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जावे।

भूकम्प की पूर्व तैयारी

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	भूकम्प की सूचना/पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, डीग
2	विभिन्न प्रकार के भवन आदि के निर्माण और डिजाइन संबंधी संहिता को लागू करना	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सानि.वि./ सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेंसी, डीग

3	भूकम्प इंजीनियरिंग के सिद्धान्त व संहिता के प्रयोग के लिये वास्तुकार एवं इंजीनियर को प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. डीग
4	पहले से बने हुए मकान आदि के सुदृढता का विकास करना।	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सानि.वि./सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, डीग
5	भवनो के निर्माण एवं पुर्नद्वार एवं सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये भूकम्प संबंधी बीमा करवाना।	समस्त कार्यकारी एजेन्सी एवं बीमा कम्पनियां डीग
6	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम का आंकलन कर भूकम्प से सुरक्षा सावधानियाँ जानकारीयों उपलब्ध कराना, जन जाग्रति पैदा कराना,	जिला सॉख्यकी अधिकारी/पी.आर.ओ. डीग
7	भूकम्प प्रतिरोधी मकान बनाने संबंधी सरल तकनीक की प्रदर्शनियां लगाना, भूकम्प प्रतिरोधी मकानों के नमूनों का प्रदर्शन,	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.
8	कारीगरों को भवन निर्माण में भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक अपनाने का प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.

अग्निकाण्ड से पूर्व तैयारी

क्र.स.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तहसील मुख्यालय से संबंधित ग्राम की दूरी तथा वहां से तहसील पहुंचने के समय का आंकलन रास्तों की स्थिति आदि की सूचना तथा अग्नि शमन वाहन के लिए रास्ते आदि की उचित व्यवस्था	स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी

2	सार्वजनिक व निजी जल स्रोतों की उपलब्धता	सरपंच, सचिव, जलदाय विभाग का स्थानीय प्रभारी
3	स्वयं सेवकों की सूची तहसीलदार को उपलब्ध कराना	पटवारी
4	ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध अग्नि शमन संसाधन तैयार रखना	सरपंच, सचिव
5	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल/सार्वजनिक भवन का चिन्हीकरण	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों को तैयार रखना	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक

विलेज फायर की सूचना

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	गांव में आग लगने की सूचना निकट तहसील, उप तहसील मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन को देना	पटवारी, सचिव
2	स्थानीय संसाधनों से अग्नि बुझाने का तात्कालिक प्राथमिक कार्य	ग्राम सेवक, सरपंच, स्थानीय पाठशाला का प्रधानाध्यापक एवं पटवारी

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं हेतु उनके घटित होने के सम्भावित समय से पूर्व संबंधित एडवाईजरी जारी कर जन सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना।

किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी के लिये जिला/तहसील मुख्यालय पर कलक्ट्रेट, डीग में 24 X 7 ई.ओ.सी. स्थापित है।

क्षमता, निर्माण एवं प्रशिक्षण उपाय

1. नागरिक सुरक्षा द्वारा वर्ष में 2 बार विभिन्न आपदाओं के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियां यथा आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के द्वारा भी समय-समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है।
2. किसी भी आपदा की स्थिति में अनुक्रिया करने वाले सबसे पहले स्थानीय लोग होते हैं। आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को शिक्षित करने हेतु विद्यालय स्तर पर भी विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जा रही है, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों एवं बच्चों के साथ-साथ अभिभावक एवं स्थानीय लोगों को भी विद्यालय स्तर पर गठित समिति में शामिल किया गया है।

अध्याय – 7
उत्तरदायी एवं सहायता के उपाय

1. आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व चेतावनी एवं संचार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर, त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिये अध्याय 4 में उत्तरदायी विभागों को दायित्व सौंपा गया है।
2. किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी के लिये जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट, डीग में 24 X 7 ई.ओ.सी. स्थापित है, जिसका दूरभाष नम्बर 05641-294005 है व इसी प्रकार तहसील मुख्यालय पर भी ई.ओ.सी. स्थापित हैं।

पुनर्निर्माण, पुनर्वास व राहत उपाय

आपदा पश्चात् आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के नौम्स अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का कार्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

मानसून के पश्चात् दायित्व

क्र.सं.	संबंधित अधिकारी	मानसून के बाद दायित्व
1	जिला कलक्टर डीग	सभी विभागों से बाढ़ से हुई क्षति की सूचना से सरकार को सूचित करना, सभी विभागों की मॉनिटरिंग कर क्षति ग्रस्त कार्यों की मरम्मत सुनिश्चित कराना।
2	अधीक्षण अभियन्ता जलसंसाधन, डीग	बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से सहायता विभाग, राजस्थान सरकार को भेजना, सहायता की स्वीकृति पर क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रों में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था करना।
3	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक विभाग, डीग	बाढ़ क्षतिग्रस्त मार्गों का निरीक्षण कर हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से राहत विभाग जयपुर को भेजना तथा बाढ़ स्वीकृति कार्यों की मरम्मत करना।
4	मण्डल / जोन अधिकारी, रेल्वे विभाग	क्षतिग्रस्त रेलमार्गों कार्यों की मरम्मत करना।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पेयजल आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त कार्यों की क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाढ़ स्वीकृति मरम्मत कराया जाना।
6	चिकित्सा विभाग	बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना।
7	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाल करना तथा क्षतिग्रस्त लाइनो की त्वरित मरम्मत करना।
8	पशुपालन विभाग	बाढ़ उपरान्त फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम करना तथा चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना।
9	रसद विभाग	प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्य सामग्री की सप्लाई बनाये रखना।
10	आयुक्त नगर निगम, नगर सुधार न्यास, डीग	क्षतिग्रस्त जल निकास प्रणाली की त्वरित मरम्मत करना तथा निचले क्षेत्रों में भरे पानी को निकालना।

अकाल के बाद कार्यवाही

राहत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। अकाल के दौरान परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और पर्यवेक्षण किया जावेगा। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जावेगा। कृषि पर आधारित श्रमिकों को औद्योगिक सेवा के माध्यम से रोजगार दिलाया जायेगा। पेयजल के लिये स्थाई योजनाये बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

चक्रवात की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व

क्र.सं.	काय	उत्तरदायी अधिकारी
1	चक्रवात की सूचना/मौसम के बदलाव की स्थिति से/ अलर्ट जारी करने की सूचना जिला प्रशासन को देना एवं प्रतिदिन जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एवं पी.आर.ओ. को	ए.पी.आर.ओ
	अवगत कराना।	
2	चक्रवात क्षेत्र में हॉनि का आंकलन करना, हॉनि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम/तहसीलदार
3	प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था, एमएलओ/फाकिंग मशीन द्वारा दवाई का छिड़काव।	आयुक्त नगर निगम/ईओ नगर पालिका
4	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	पुलिस अधीक्षक
5	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए इलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हानि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
6	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
7	प्रभावित विद्युत लाईनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल
8	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, बीएसएनएल
9	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	ए.पी.आर.ओ.
10	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पढ़ने पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की मांग पर उसे जारी करना। आगामी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था।	मैनेजर एफ.सी.आई./

11	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, फसलो के बीमा हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
12	वित्तीय संस्थाओं यथा—ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	जिले के समस्त वित्तीय संस्थान

बादल फटने की स्थिति में प्रशासनिक दायित्व

क्र.सं.	काय	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन, जिला कलक्टर एवं पी. आर.ओ. को अवगत कराना।	ए.पी.आर.ओ.
2	सूचनाओं का आदान-प्रदान, कानून व्यवस्था	जिला पुलिस अधीक्षक, डीग
3	रेस्टोरेशन वर्क, सुरक्षित स्थानों पर आवश्यकतानुसार रोड कट करना, वैकल्पिक रास्तों का निर्माण, ड्रम बोर्ड्स बनाना, सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण, बचाव साधनों की व्यवस्था।	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग
4	नाला, नाली सफाई डीवाटरिंग की व्यवस्था, पेयजल सफाई, रोशनी आदि कार्य।	नगर परिषद, डीग नगर पालिकायें समस्त जिला डीग
5	पानी निकासी के लिये पम्प सेटों की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
6	पशुओं का टीकाकरण	उपनिदेशक, पशुपालन
7	अतिवृष्टी से प्रभावित क्षेत्रों में हुई हानि का आंकलन कर जिला कलक्टर को भिजवाना, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण एवं आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार
8	अनाज का स्टॉक उपलब्ध रखना, प्रशासन की मांग पर अनाज जारी करना।	जिला रसद अधिकारी
9	फसल में हुए हानि का आंकलन, बीज खाद, कीटनाशक की व्यवस्था कृषि बीमा योजना हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक, कृषि
10	उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना,	ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक

11	क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों/ टेलीफोन लाईनों की पुर्नस्थापना	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. उपमाह प्रबंधन बी.एस.एन. एल
12	अतिवृष्टि/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अध्यापकों एवं छात्रों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल एवं मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर जनसाधारण को जागरूक करना। (उक्त बीमारियों से बचाव ही उपाय है)	शिक्षा विभाग/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत

लू (HEAT Stroke) जिला प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	मौसम के बदलाव एवं दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एवं प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एवं सहा0/पीआरओ डीग)	ए.पी.आर.ओ.
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावों की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय-समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. कलक्टर .(शहर) एवं ए. पी.आर.ओ. डीग
3	स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगों के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाएँ।	समस्त उपखण्डाधिकारी, डीग

7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाएँ व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ./ एस.पी., डीग
8	मजदूरी करने वालों के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ सिंचाई/विद्युत/नगर निगम /नगरपालिकायें/वनविभाग डीग
9	निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों/गैर सरकार संस्थाओं इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
10	दीर्घकालीन उपाय शहरों, कस्बों व गाँवों में सड़क के किनारों पर छायादार पेड़ लगाने का व्यापक अभियान व जगह-जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ सीईओ जिला परिषद/सा.नि.वि. /वन विभाग, डीग
11	जगह-जगह शेल्टर एवं शेड बनाने के लिये	पीएचईडी
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था/ प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मवकाश एवं स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग

शीत लहर की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एवं पीआरओ)	ए.पी.आर.ओ.
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एवं शिक्षा विभाग

3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीडित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप में शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला डीग
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, डीग
5	विभिन्न जन संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण तक समय-समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, डीग
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी. एस.ओ. डीग
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एवं सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं सदी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

ओलावृष्टि, पाला, आंधी, तूफान की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ओलावृष्टि, पाला, आंधी, तूफान, प्रभावित क्षेत्रों में हानि का आंकलन करना, हानि के अनुसार राजस्व लगान में छूट प्रदान करना, पीडितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री का वितरण, नागरिक समितियों की बैठक करना।	एस.डी.एम/ तहसीलदार
2	प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की लाशों का डिस्पोजल, सफाई व्यवस्था,	आयुक्त नगर परिषद /ईओ नगर पालिका
3	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था	जिला कलक्टर पुलिस अधीक्षक

4	कारकस डिस्पोजल, जानवरो के लिए ईलाज, संभावित आपदा से होने वाली पशु हॉनि से बचने हेतु पशुधन बीमा हेतु जनता को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक पशुपालन विभाग
5	हानि के फलस्वरूप रिजर्व खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना	डी.एस.ओ.
6	प्रभावित विद्युत लाइनो का रेस्टोरेशन	अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7	संचार व्यवस्था का रेस्टोरेशन	उप महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड
8	विशेष बुलेटिन जारी करना, सही सूचना का प्रकाशन, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रकाशन	ए.पी.आर.ओ.
9	अनाज का आरक्षित स्टॉक उपलब्ध रखना, आवश्यकता पर प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की मांग पर जारी करना। आगामी फसलो के उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था।	एफ.सी.आई./वेयर हाउस
10	फसल व नुकसान का सही आंकलन एवं चिन्हीकरण, उन्नत बीज की व्यवस्था, लोगों का मनोबल, बढ़ाना, कीटनाशक दवाओं की अतिरिक्त व्यवस्था। मृदा परीक्षण, किसानों को अधिक से अधिक पैदावारी की जानकारी हेतु डिमोस्ट्रेशन, फसलो के बीमा हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।	उप निदेशक कृषि विभाग
11	वित्तीय संस्थाओं यथा—ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, को – ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रभावित नागरिकों हेतु उचित दर पर ऋण की व्यवस्था।	वित्तीय संस्थान
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एवं ओलावृष्टि से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	चिकित्सा व्यवस्था करना।	पीएमओ/सीएमएचओ

बिजली का गिरने की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस

2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवों की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल / महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

भूकम्प की स्थिति में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	भूकम्प की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना।	ए.पी.आर.ओ.
2	मौसम विभाग से भूकम्प की सूचना जिला कलक्टर, को प्राप्त होते ही उपखण्डाधिकारियों को सूचित करना	अति.जिला कलक्टर /प्रभारी अधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता, डीग
3	भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के घेराबन्दी करने संबंधी प्रबंध।	पुलिस अधीक्षक, /स्टेशन कमाण्डर आर्मी, डीग
4	भूकम्प प्रभावित स्थलों को खाली कराने का प्रबंध।	एस.डी.ओ./क्षेत्र के पुलिस अधिकारी
5	मृतक एवं जानवारों के कंकालों को एकत्रित कर निस्तारण की कार्यवाही। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें /ग्राम पंचायतें
6	चिकित्सा , भोजन, पानी की आपूर्ति, टेन्ट, मैटल की चद्दरे उपलब्ध कराना, अस्थाई शरण स्थलों का प्रबंध।	डी.एस.ओ. /सी.एम.एण्ड.एच.ओ. /पी.एम.ओ. /अधीक्षण अभियन्ता पीएच.ई.डी. डीग
7	परिवहन संबंधी संसाधनों को उपलब्ध कराना।	डी.टी.ओ. डीग
8	भूकम्प से कितना नुकसान हुआ का आंकलन।	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार

9	चोरी लूट, आदि की संभावनाओं को कम करने के लिये सैना व पैरा मिलिट्री की मदद।	पुलिस अधीक्षक स्टेशन / कमाण्डर आर्मी, डीग
10	घायलों की चिकित्सा, महामारी से बचने के लिये टीकाकरण की व्यवस्था। मोबाईल चिकित्सा यूनिट का प्रबंध।	सी.एम.एण्ड.एच.ओ./पी.एम.ओ.
11	राशन, कपड़े,वर्तन आदि का वितरण।	डी.एस.ओ.
12	महिला और बच्चों के पुनर्वास आदि की व्यवस्था।	उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस.
13	कृषि संबंधी पुनर्स्थापना, कृषकों को बीज / फसल कटाई हेतु सहायता/खाद्य/औजार/कृषि उपकरण/ क्षति ग्रस्त पशुशालाओं का निर्माण/पशु शिविर/ पशुधन की निरोधक चिकित्सा।	उपनिदेशक, पशुपालन/ उपनिदेशक कृषि
14	शैक्षिक क्रियाकलापों का पुनर्जीवन	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) I, II एवं प्राथमिक शिक्षा

भूकम्प की स्थिति में पुनर्वास

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	नये स्थानों पर विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
2	नये स्थानों पर पुनर्वास होने तक अस्थाई आश्रयों की व्यवस्था।	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
3	अनाथ बच्चों और विधवाओं का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण/उपनिदेशक शिक्षा
4	सार्वजनिक सम्पत्तियों का पुनरुद्धार और पुनर्स्थापना	सा.नि.वि./राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम/यू.आई.टी./ग्राम पंचायतें।
5	निशुल्क/रियायती दर पर जैसा सरकार का निर्णय हो भवन निर्माण सामग्री की व्यवस्था।	एस.ई. पी.डब्ल्यू.डी. डीग

6	रोजगार की व्यवस्था	कार्यकारी संस्थायें
7	कारीगरो का पुनर्वास	कार्यकारी संस्थायें
8	अभिघातोत्तर तनाव विकार के लिये परामर्श व्यवस्था	सी.एम.एण्ड.एच.आ. / पी.एम.ओ. / स्वयं सेवी संगठन
9	अस्थाई शरणगृह	सा.नि.वि. / राजस्थान आवासन मण्डल / नगर निगम / यू.आई.टी. / ग्राम पंचायतें।
10	विकलांग व अक्षम व्यक्तियों का पुनर्वास	उपनिदेशक समाज कल्याण

खान में आग लगने पर

जिले में रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थों, कोयला आदि की खाने नहीं हैं केवल पत्थर की खाने हैं इसीलिये खान में आग लगने की घटनायें नहीं होती हैं फिर भी इस तरह की

घटना होने पर त्वरित कार्यवाही कर दी जावेगी।

रासायनिक विपदा

जिला डीग में परमाणु एवं जैविक, रासायनिक हमले के समय अपनाई जाने वाली बचाव व मानक कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:-

1. जिले में सिविल डिफेन्स एवं होमगार्ड्स जवान कार्यरत हैं, ये जवान आवश्यकता पड़ने पर 2 घण्टे में उपलब्ध हो सकते हैं।
2. जैविक हमले के समय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिये जिला पुलिस एवं वन विभाग के पास वायरलैस सैट उपलब्ध है। जिनको आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है।
3. हमले के दौरान सहायता कैम्प लगाने के लिये नगर निगम डीग, नगर सुधार न्यास, डीग टेण्ट, जनरेटर आदि आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगे।
4. जैविक हमले के समय डीग रेलवे स्टेशन के पास भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखे गये अनाज की सुरक्षा का प्रबन्ध उपनिदेशक, कृषि डीग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीग की देखरेख में होगा।
5. जैविक हमले के दौरान परिवहन व्यवस्था हेतु रोडवेज वाहन, प्राइवेट बसें एवं जिला पूल के पास वाहनों व पुलिस के पास उपलब्ध वाहनो का आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकेगा। आवश्यक वाहनों की व्यवस्था अति.जिला कलक्टर, शहर एवं जिला परिवहन अधिकारी, डीग द्वारा की जावेगी।
6. जैविक हमले के दौरान विद्युत सप्लाई चालू रखने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, जेवीवीएनएल, उत्तरदायी होंगे तथा विद्युत सप्लाई की रूकावट की स्थिति में जनरेटरों द्वारा विद्युत की सप्लाई व्यवस्था रखी जावेगी।
7. कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये जिला मुख्यालय पर एक ई0आर0टी0 टीम गठित की हुई है जो आपात स्थिति से निपटने के लिये त्वरित कार्यवाही करेगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर कानून व्यवस्था के लिये तत्परता से उपलब्ध रहेंगी जिससे आम जन को कोई परेशानी न हो व जनता में शान्ति व सौहार्द्र का वातावरण बना रहे।
8. जैविक हमले के दौरान राहत कैम्पों की सुरक्षा हेतु पुलिस की माकूल व्यवस्था होगी। चिकित्सा विभाग की टीम चिकित्सा करेंगी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थायें व नगर परिषद की सहायता से खानपान की व्यवस्था की जावेगी।
9. हमले के दौरान फैलने वाली अफवाहों से निपटने के लिये तथा आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना के संकलन हेतु सादा वस्त्रधारी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जावेगी। आवश्यकतानुसार अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अफवाहों व गलतफहमियों को दूर करने के लिये पुलिस वाहनो व नगर परिषद के वाहनों पर माइक लगाकर सम्वाद द्वारा, इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सावचेत रहने का प्रसारण किया जावेगा। जैविक हमलों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को वहाँ से हटा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जावेगा।

11. अ. सम्भावित हमले की स्थिति में जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सिविल डिफेन्स, ट्रान्सपोर्ट आदि की सहायता ली जावेगी।
 ब. स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये सतर्कता पूर्वक निगरानी गस्त व चैकिंग पुलिस द्वारा की जावेगी।
 स. सहायता केन्द्रों पर जनता के लिये प्राथमिक चिकित्सा सहायता, चलित अस्पताल, चिकित्सा स्टाफ व सहायता कर्मियों के साथ रहकर पीड़ितों की सहायता व सहयोग किया जावेगा।
12. जिला पुलिस की यातायात शाखा, प्रशासन के सहयोग से वैकल्पिक मार्गों को पूर्व से ही चिन्हित कर आवागमन को सुचारु रूप से चालू रखा जावेगा।
13. हमले के दौरान गम्भीर स्थिति से बचने के लिये समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित कर स्थिति को संतुलित किया जावेगा।
14. जिले के सभी थानाधिकारी जनता से बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे व गस्त करेंगे तथा सी.एल.जी. की मीटिंग बुलाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे जिससे कि गम्भीर स्थिति को रोका जा सके।

औद्योगिक विपदा उत्तरदायी विभाग/अधिकारी

क्र.सं.	काय	उत्तरदायी विभाग
1	रिहायशी बस्तियों की योजना उद्योगों के पास नहीं बनाई जावे।	आयुक्त नगर परिषद
2	हानिकारक उद्योगों का चिन्हीकरण तथा आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था	अति० जिला कलक्टर , शहर, जी०एम० डी०आई०सी, निरीक्षक वायलर, सम्बन्धित अधिकारी उपखण्डाधिकारी
3	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों की पालना	अति० जिला कलक्टर , शहर, जी०एम० डी०आई०सी, निरीक्षक वायलर, उपखण्डाधिकारी, श्रम अधिकारी
4	औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रभाव की जानकारी, प्रचारित करना कि दुर्घटना से किस प्रकार बचा जा सकता है	श्रम अधिकारी, ए०पी०आर०ओ०
5	सुरक्षा उपायों की अनुपालना	श्रम विभाग

परमाणु विपदा

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मिता के मानवजीवन, पशु-पक्षियों व वनस्पतियों पर प्रभाव का आकलन करना तथा प्रभाव को कम करने के तत्कालीन उपाय	सीएमएण्डएचओ चिकित्सा विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, उप निदेशक पशुपालन विभाग,

2	कम्प्यूनिक्शन, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अफवाओ का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक डीग
3	आस-पास के क्षेत्रों को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उदघोषण, शरण स्थलों का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम./तहसीलदार (समस्त) जिला डीग
4	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बूलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओं को सूचना का प्रेषण।	सहायक कमाण्डेंट होमगार्ड, डीग
5	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, डीग
6	कारकस डिस्पोजल, मृतकों के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेटर्स की व्यवस्था, शरण स्थलों की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगों को निकालना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था	आयुक्त नगर परिषद डीग / नगरपालिकायें जिला डीग
7	एम्बुलेंस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओं का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ़ का सृजन इत्यादि।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डीग
8	ट्रेक्टर, डम्पर व मजदूरों की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., डीग
9	शरण स्थलों व रास्तों में पाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य,	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
10	विद्युत के प्रसारण की सुचारु व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल. डीग
11	रेस्टोरेशन कार्य	नगर सुधार परिषद , डीग
12	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारु करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधक दूरसंचार, डीग
13	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पिटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हैड-क्वार्टर, सेवर / कमाण्डेंट एम्पूनेशन डिपो, डीग
14	घायलों का परिवहन, अस्पताल सेवाय	स्टेशन अधीक्षक, रेल्वे स्टेशन, डीग
15	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम लोहागढ, / डीग डिपो, डीग

अग्निकाण्ड की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को मौके पर पहुंचाने की कार्यवाही	तहसीलदार
2	दुर्घटना की सूचना जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
3	उपलब्ध संसाधनों से अग्नि शमन की कार्यवाही सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी
4	घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं गंभीर रूप से घायलों को उच्चकृत चिकित्सालयों में रेफर कराना तथा चिकित्सकों एवं दवाइयों की व्यवस्था कराना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5	अग्नि से हुई हानि का आंकलन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर को उपलब्ध कराना	तहसीलदार
6	अग्नि दुर्घटना में पीड़ित परिवार जिनका सबकुछ नष्ट हो गया है, उनके भोजन, आवास आदि की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी
7	माह अप्रैल-जून में अग्नि से जलकर घायलों की स्थानीय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	उपखण्डाधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8	सहायता राशि का वितरण	तहसीलदार

बम विस्फोट

आज के युग में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिये आमतौर पर अपनाये जाने वाली प्रक्रिया, बम विस्फोट है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना, तथा जानमाल की हानि पहुँचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं। जहाँ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट आर. डी. एक्स., सी.-3, सी.-4, पी.ई.के., डेटोनेटर आदि के हो सकते हैं।

बम विस्फोट होने के बाद के कार्य

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्यूनिकेशन, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था,, बैरीकेटिंग व्यवस्था, बम्ब निरोधन दस्ते, खोजी कुत्तों का प्रबंध, अफवाओं का रोकना,	जिला पुलिस अधीक्षक डीग
2	आस-पास के क्षेत्रों को खाली करवाने की कार्यवाही, कार्यवाही की उद्घोषण, शरण स्थलों का प्रबंध, धन सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही, धन सम्पत्ति का अधिग्रहण व सुपुर्दगी की कार्यवाही	एस.डी.एम./तहसीलदार (समस्त) जिला डीग
3	रेस्क्यू पार्टी की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्टएड, कंट्रोल रूम का गठन एवं संबंधित सेवाओं को सूचना का प्रेषण।	सहायक कमाण्डेंट होमगार्ड, डीग
4	अतिरिक्त वाहनो की व्यवस्था करना, व प्रशासनिक मांग पर उपलब्ध कराना	जिला परिवहन अधिकारी, डीग
5	कारकस डिस्पोजल, मृतकों के दाह संस्कार की व्यवस्था, जनरेटर्स की व्यवस्था, शरण स्थलों की व्यवस्था, मलबा हटाना, फसे हुए लोगों को निकालना, पब्लिक एडरेस सिस्टम की व्यवस्था	नगरपरिषद डीग/नगरपालिकायें जिला डीग
6	एम्बुलेंस व्यवस्था, मोबाईल टीम का गठन, पैरा मैडिकल स्टाफ की व्यवस्था, दवाओं का अतिरिक्त भण्डार, पृथक बाढ़ का सृजन इत्यादि।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग
7	टूटे हुए मकानों की मरम्मत की व्यवस्था, मलबा हटाने की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त इमारतों को तोड़ने की व्यवस्था, ट्रैक्टर, डम्पर व मजदूरों की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. डीग
8	शरण स्थलों व रास्तों में नाली का प्रबंध, जलापूर्ति रोकना व मरम्मत कार्य	अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी. डीग
9	विद्युत के संचार की सुचारु व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जे.वी.वीएन.एल. डीग
10	रेस्टोरेशन कार्य	नगर परिषद डीग
11	टेलीफोन की व्यवस्था सुचारु करना तथा रेस्टोरेशन कार्य	जिला प्रबंधन दूरसंचार,डीग

12	बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा एवं छानबीन, हॉस्पिटल सेवायें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के संचालन में मदद करना,	स्टेशन कमाण्डर, आर्मी हेड क्वार्टर, सेवर/कमाण्डेट एम्बुलेंस डिपो, डीग
13	घायलों का परिवहन, अस्पताल सेवायें	स्टेशन अधीक्षक, रेलवे स्टेशन, डीग
14	प्रशासन की मांग अनुसार, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था, वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण	प्रबंधक राजस्थान परिवहन, निगम लोहागढ़, / डीग डिपो, डीग

बम विस्फोट होने के बाद पुर्नवास

अचानक हुए बम विस्फोट में काफी जन, धन की हानि होती है। ऐसी घटनाओं में मृतकों के परिजनो के पुर्नवास की आवश्यकता होती है। पीड़ित परिवारों का पुर्नवास एवं तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बम विस्फोट में मृतकों के परिजनो को तात्कालिक सहायता मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराना	(समस्त) तहसीलदार जिला डीग

सड़क दुर्घटना

डीग जिले की प्रमुख सड़कें भरतपुर-डीग- नगर-अलवर रोड, भरतपुर-डीग-कामां -नन्द गॉव रोड, हैं उक्त सभी सड़कों पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो तत्करीबन सभी सड़कों के पोंच से दस किलोमीटर दूरी पर गॉव मौजूद हैं जिनमें दूरभाष एवं वाहन सुविधा मौजूद है। निकटस्थ गांव के टेलीफोन से दुर्घटना की सूचना पास के पुलिस थाने एवं अस्पताल में पहुँचाई जावे। जिले के पुलिस थानों और अस्पतालों के नम्बर, आपदा प्रबंधन योजना में उपलब्ध हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के प्रभारी अधिकारी एम्बुलेंस, पैरा मैडिकल स्टॉफ, एवं उपचार हेतु आवश्यक दवाओं के साथ दुर्घटना स्थल रवाना हो जावेगें। इसी प्रकार दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाने, चौकी प्रभारी, घटना स्थल पर पहुँच कर घायलों को अस्पताल पहुँचाने में मदद करेंगे और कानूनी कार्यवाही पूरी करेंगे। अतः ऐसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही यदि कोई सूचना पुलिस जिला प्रशासन आपदा विभाग या जनसाधारण द्वारा प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग तुरन्त घटना स्थल पर उपलब्ध संसाधनों सहित मदद हेतु पहुँच जावेगा।

खान में बाढ़ आना व ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	कम्यूनिकेशन, कानून व्यवस्था रिकवरी वेन, कम्पर क्रेन, गैस कटर, प्रभावित क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था	पुलिस विभाग

2	मोबाईल टीमो का गठन ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रखना। घटना स्थल पर मेडिकल शिविर स्थापित करना, ऑक्सीजन सिलेण्डर, एम्बुलेंस व भारी मात्रा में घायलों के परिवहन की व्यवस्था, हड्डी व मनोरोग विशेषज्ञों की अतिरिक्त व्यवस्था। मोस्टमार्टम व्यवस्था,	सी.एम.एण्ड.एच.ओ / पी.एम.ओ.
3	जनरेटर, पम्पसेट्स डीवाटरिंग व्यवस्था	जलदाय विभाग
4	जे.सी.वी. एल.एन.टी. क्रेन व अन्य बचाव संसाधनों की व्यवस्था	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5	डीवाटरिंग पम्पसेट्स, ट्रेक्टर्स, जे.सी.वी. क्रेन रस्से ऑक्सीजन गेस सिलेण्डर, मास्क सहित डायवर्स की व्यवस्था करना	नगरपरिषद
6	अस्थाई टेलीफोन लाइनो की व्यवस्था महत्वपूर्ण लाईनो की व्यवस्था	टेलीफोन विभाग
7	एल.एन.टी.जे.सी.वी. कम्प्रेसर क्रेन डम्पर ट्रेक्टर्स, आदि की व्यवस्था साहसी कार्यकर्ताओं की व्यवस्था खनिज ठेकेदारों की सूची व क्षेत्र की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, खान में कार्यरत मजदूर व कर्मचारियों की बीमा की व्यवस्था।	खान विभाग
8	क्षेत्र में हुई हॉनि व जन हॉनि का आकलन पीड़ितों को आर्थिक मदद राहत सामग्री की व्यवस्था सही सूचना का संग्रहण व प्रेषण	एस.डी.एम. व तहसीलदार
9	प्रशासनिक मांग के अनुसार परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था	परिवहन विभाग

मुख्य भवनों का ढहना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	बहुमंजिली इमारती क्षेत्रों में तथा शहर के अतिव्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाइड्रेंट की समुचित व्यवस्था	आयुक्त, नगर परिषद,
2	सिनेमाहाल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनीहाल, स्कूल आदि के निरीक्षण वर्ष में दो बार	अतिरिक्त, शहर,
3	बहुमंजिली इमारत के निर्माण में आई0एस0 कोड, एन0बी0ओ0 कोड की अनुपालना	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड
4	बहुमंजिली भवन, सँकड़ी गलियों में नहीं बनाये जावें, जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती हों वहाँ बहुमंजिली भवनों की अनुमति किसी भी हालत में न दी जावे।	आयुक्त नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, हाउसिंग बोर्ड

5	बहुमंजिली भवनों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था हेतु भवन मालिकों को पाबन्द करना तथा इस व्यवस्था के निरीक्षण करना	उपखण्ड अधिकारी, नगर परिषद
---	---	---------------------------

महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने की योजना

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	आपात कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता निश्चित करना।	सी.एम.एच.ओ., डीग, पी.एम.ओ.,भरतपुर जिला अस्पताल एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
2	आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	सी.एम.एण्ड एच.ओ., डीग व पी.एम.ओ.,डीग
3	पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।	
4	आपात कालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।	
5	जन साधारण को प्रशिक्षित करना।	स्वास्थ्य कार्य कर्ता
6	स्थिति संबंधी मूल आंकड़ों की सूचनायें खतरे की तुरन्त सूचनाओं के संकेत।	सी.एम.एण्ड एच.ओ., डीग व पी.एम.ओ.,डीग
7	आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का आंकलन।	जिला सॉख्यकी अधिकारी, मैडिकल एडमिस्ट्रेशन और सी.पी.ओ. डीग
8	मच्छर या जलजनित बीमारियों की रोकथाम में छात्रों एवं अध्यापकों/ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ग्राम पंचायत के माध्यम से जनसाधारण को इन रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी देकर सचेत/जागरूक करना।	शिक्षा/चिकित्सा विभाग/ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्थायें।
9	गांव में पानी के छोटे/बड़े गड्ढों में नरेगा के माध्यम से मिट्टी भरवाना ताकि पानी एकत्रित ना हो। साथ ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना।	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डीग/ ग्राम पंचायत/पंचायत समिति

10	जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु क्लोरीनेशन करवाना एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाना।	पीएचईडी/स्थानीय प्रशासन तहसीलदार
11	महामारी को रोकने में स्थानीय जनता एवं प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग को सहयोग देना।	पीएचईडी/शिक्षा/कृषि/पंचायत राज विभाग

टिड्डी दल आक्रमण

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी विभाग
1	टिड्डियों के प्रजनन क्षेत्र पर निगरानी	कृषि विभाग
2	टिड्डी आने की स्थिति में पूर्व चेतावनी से कृषकों को अवगत कराना तथा ऐहतिहासी उपाय।	कृषि विभाग
3	टिड्डियों को दवाई छिड़क कर समाप्त करने की व्यवस्था	कृषि विभाग एवं जिला कलक्टर
4	टिड्डी द्वारा की गई हानि का आंकलन	तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी
5	कानून व्यवस्था बनाये रखना	पुलिस विभाग
6	कृषकों को हुये नुकसान का अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था	तहसीलदार, उपखण्डाधिकारी एवं जिला कलक्टर

जानवरों की महामारी

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	बीमारी की सूचना का प्रसारण, पशु चिकित्सालय को निर्देश	एस.डी.एम.
2	क्षेत्र में शिविर लगाने की व्यवस्था, गोशाला आदि की व्यवस्था, मोबाइल टीमों का गठन, अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था, पोष्टिक आहार की व्यवस्था, हॉर्नि का आंकलन, पशु बीमा की सलाह	पशुपालन विभाग
3	मृत पशुओं का निस्तारण	नगर परिषद/नगर पालिका, ग्राम पंचायत

4	गांव में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था,	जलदाय विभाग
5	हरे चारे से फैलने वाली पशुओं की बीमारी की जानकारी देना, चारे से संक्रमण फैलने वाली बीमारियों की दवा की व्यवस्था	कृषि विभाग

आतंकवादी गतिविधियाँ

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्प्यूनिक्शन, कानून व्यवस्था, बम निरोधक दस्तों का व्यापक गठन, सभी इन्टेलीजेन्स एजेंसीज से निरंतर तालमेल, बुलेट प्रूफ संसाधन, विक्क रियेक्सन टीम मय हथियार जो हर समय तैयार रहे, आर्मी व अन्य वर्दीधारी सेवाओं को तुरंत सूचना का संप्रेषण	पुलिस अधीक्षक, डीग
2	पुलिस की मदद करना,	डिप्टी कमाण्डेंट हॉमगार्ड, डीग
3	क्षेत्र में हुई हानि का आकलन, जनहानि का आकलन, पीड़ितों को आर्थिक मदद, राहत सामग्री की व्यवस्था, सही सूचना का संग्रहण व संप्रेषण, जन सहयोग की अपेक्षा का आह्वान, पीड़ितों के शरणस्थलों की व्यवस्था, प्रेसनोट जारी करना, संवेदनशील स्थानों का चिह्निकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था ।	जिला कलक्टर/ ए.डी.एम. (प्रशासन)/एस.डी.एम. /तहसीलदार समस्त जिला डीग
4	अग्निशमन वाहन मय फायरमैन, रैस्क्यूइक्विपमेण्ट, पानी के टैंकर, क्रेन, डम्पर, जनरेटर, संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सुरक्षा हेतु प्रशासन को अवगत कराना,	आयुक्त नगरपरिषद डीग, जिले की नगरपालिका
5	पुनर्स्थापना, बेरीकेटिंग, जेसीबी, क्रेन, डम्पर की व्यवस्था,	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
6	दवाई, बिस्तर, एम्बुलैन्स, एवं घायलों की चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7	वाहनों की व्यवस्था	जिला परिवहन अधिकारी,
8	पेट्रोल डीजल की व्यवस्था, शिविरों में खाद्य सामग्री की व्यवस्था	जिला रसद अधिकारी,

उपद्रव, दंगे, बलवा, त्योहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़.

क्र. सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी
1	कम्प्यूनीकेशन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेटिंग व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था।	पुलिस अधीक्षक, डीग
2	स्वयं सेवकों की व्यवस्था एवं पुलिस की मदद	डिप्टी कमाण्डेड हॉमगार्ड, डीग
3	एरिया मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, कानून व्यवस्था का सुनिश्चय, घटना स्थलों का भ्रमण व संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, व्यवस्था पर निरंतर निगरानी, घायल व पीड़ितों की हानि का आंकलन, आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।	जिला मजिस्ट्रेट / ए.डी.एम. (प्रशासन) / एस.डी.एम. / तहसीलदार समस्त जिला डीग
4	अग्नि शमन वाहन व प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था, उत्सव स्थल पर दुकानों व खाद्य प्रदार्थों का नमूनीकरण, डी.डी.टी. का प्रयोग व पानी के स्रोतों में लाल दवा का प्रयोग तथा पानी के शुद्धीकरण की व्यवस्था, प्रशासन व कानूनी व्यवस्थाओं में लगे विभागों की जानकारी, व तालमेल जनरेटर, ट्रेक्टर्स, व वाटर टेक, डम्पर आदि की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था।	आयुक्त नगरपरिषद डीग, जिले की नगरपालिकाएँ
5	मोबाईल टीमों का गठन, डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ की व्यवस्थाएँ, एम्बुलेंस व अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था अस्थाई मैडिकल बूथ की स्थापना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डीग
6	घटना स्थल पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था	अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग, डीग
7	विद्युत तारों को कसना एवं पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति	अधीक्षण अभियन्ता जी.वी.वी.एन.एल. डीग
8	सही सूचनाओं का प्रकाशन, अस्थाई घोषण कक्ष की स्थापना	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, डीग

9	महत्वपूर्ण टेलीफोन लाईनो का रखरखाव	जिला प्रबंधक बी.एस.एन.एल/निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता
10	पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, डीलरो को आरक्षित कोटा रखने के लिये पाबन्द करना, स्वयं सेवी संस्थाओ को रियायती दर पर खाद्य सामग्री का प्रबंध	जिला रसद अधिकारी, डीग

आपदा प्रबन्धन योजना का मूल्यांकन एवं अद्यतन

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार जिले के लिये एक जिला आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जिसको बनाने का दायित्व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का है, जिसके पदेन अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं। उक्त प्राधिकरण ही जिला कार्ययोजनाओं के निर्माण, अनुमोदन एवं अद्यतन करने हेतु उत्तरदायी है। जिले की आपदा प्रबन्धन योजना जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक परिवर्तनशील अभिलेख है, जिसका पुनः वर्ष 2024 में गत वर्ष के अनुभवों एवं परिवर्तनों के अनुरूप अद्यतन व नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसका राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् एसडीएमए वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। मॉक ड्रिल :- किसी भी आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारियों की समीक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष दिनांक 25.04.2026 को नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

अध्याय – 10

समन्वय प्रक्रिया

जिले में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सभी विभागों के पास अपने-अपने विभाग से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों की जानकारी एवं सूची रहती है, जिनका आपदा के दौरान आवश्यकतानुसार विभाग प्रयोग करते हैं।

- राज्य स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 09 सदस्य हैं। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) की सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति (SEC) गठित है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, जो SDMA के पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- समस्त विभागों के बीच में समन्वयक के रूप में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (पदेन अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) सम्पूर्ण जिले में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है।
- इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर उपखण्डाधिकारी, समस्त विभागों ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
 - जिले में समस्त प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये व्हाट्सअप ग्रुप टीम डीग बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से तुरन्त दुर्घटना की जानकारी के साथ-साथ संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी भी शेयर की जायेगी।
- इसी प्रकार ग्राम स्तरीय रैस्क्यू टीम के, जिसमें स्थानीय पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच एवं राजकीय अध्यापक शामिल हैं, का एस.एम.एस. ग्रुप बनाया जायेगा।
- सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु जिला मुख्यालय पर एक केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष, कलक्ट्रेट, डीग में 24 X 7 संचालित है, जिसका दूरभाष नं. 05641-294005।
- दुर्घटना की जानकारी के साथ-साथ संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी भी एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र) के माध्यम से आदान-प्रदान की जाती है।

मानदण्ड परिचालन प्रक्रिया (SOP)

- आपदा एक ऐसी अचानक होने वाली घटना है, जिससे बड़े पैमाने पर मानव, पशु, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति होती है, जिसका सामना स्थानीय संसाधनों व समुदाय की क्षमता से बाहर होता है लेकिन सक्रिय पूर्व चेतावनी तंत्र द्वारा आपदा से होने वाली क्षति को रोका/कम किया जा सकता है।
- पूर्व चेतावनी सिस्टम डी.आर.आर. (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) का महत्वपूर्ण घटक है। पूर्व चेतावनी से आने वाली आपदा से होने वाली जीवन व अन्य आर्थिक, पर्यावरणीय संसाधनों की क्षति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है।
- प्रत्येक आपदा, चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव जनित से संबंधित उत्तरदायी विभाग अलग-अलग हैं, जो आपदावार अपनी एस.ओ.पी. तैयार करते हैं एवं आपदा की सूचना प्राप्त होते ही सक्रिय होकर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव व अन्य संसाधनों की घटनास्थल पर पहुँच सुनिश्चित कराकर आपदा के खतरों को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं।
- प्रत्येक विभाग के द्वारा ऐसी स्थिति से निबटने के लिये जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। आपदा पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है। व्हाट्सअप ग्रुप, एस.एम.एस. ग्रुप व नियंत्रण कक्ष किसी भी आपदा के समय सूचनाओं के प्रबन्धन एवं प्रसार हेतु काम में लिया जाता है।
- राहत एवं पुनर्वास हेतु मानक राज्य कार्यकारी समिति द्वारा भारत सरकार के नौम्स अनुसार तय किये जाते हैं।

आपातकालीन स्टॉफ-कॉल (दूरभाष पंजिका)

माननीय सांसद					
1	डीग (05644)	श्रीमती रंजीता कोली (काँग्रेस)		260451	6350605203
विधायकगण					
2	डीग कुम्हेर (05644)	डॉ. शैलेश			9314000180
4	नगर (05641)	श्री जवाहर सिंह	—	242076	9414377075
5	कांमा (05640)	श्रीमती नौक्षम		220190	8930755555
संभागीय आयुक्त कार्यालय					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्रीमती नलिनी कठोटिया	संभागीय आयुक्त	227977	234892	9829225528
2	श्री नीलिमा तक्षक	अति० संभागीय आयुक्त	234894	234895	9636892892
जिला प्रशासन					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री मयंक मनीष	जिला कलक्टर, डीग			8972249713
2	श्री राजकुमार कस्वा	अति० जिला कलक्टर, डीग			9950126926
3	श्री अमित कुमार मीणा	उपखण्डाधिकारी, डीग			7814908202
4	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			8005812873

5	श्री मुनिदेव यादव	डी0आई0जी0 स्टाम्प	222297	222972	9414580033
6	श्री मदन सिंह राठौड़	कुलसचिव विश्वविद्यालय	220560		7014033284
7	श्री कुलदीप सिंह	आयुक्त नगर परिषद			9828101029
8	श्री इन्दु सक्सेना	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास			9414320256
9	श्री अर्पित जैन	जिला रसद अधिकारी			9828764115
10	श्री कृष्ण कुमार शर्मा	कोषाधिकारी डीग			9785332033
11	श्री कुलदीप सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी			8005560688
12	श्री विजय सिंघल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी			8619247554
13	श्री संजय	उपनिदेशक, पर्यटन विभाग			9928347657
14	श्री बलवीर सिंह (अति. कार्यभार)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा0			7062688943
15	श्री बलवीर सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक			7062688943
16	श्री मनीष कुमार पाण्डे	सहा. जनसम्पर्क अधि.			8440015802
17	श्री दिलीप कुमार	प्राचार्य एम0ए0जे0 कॉलेज, डीग			8384947450
18	श्रीमती भावना यादव	उपनिदेशक, पशुपालन विभाग			9411027566
19	श्री सुरेश चंद्र मिश्रा	उपवन संरक्षक, डीग			7665011470
20	श्री जगदीश	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी			9414226222
21	श्री दिलकुश मीना (अति. कार्यभार)	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			8440991162
22	श्री रामवतार सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डीग			9782272387
23	श्री दिलकुश मीना	महाप्रबंधक, उद्योग विभाग			8440991162
24	श्री अशोक कुमार मीणा	सहायक आयुक्त, श्रम विभाग			9968454407
अति0 कलक्टर/उपजिला कलक्टर/सहायक कलक्टर					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल

1	श्री राज कुमार कस्वा	अति० जिला कलक्टर, डीग			9950126926
2	श्रीमती श्रेष्ठा श्री	उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर	241224	241425	9711101912
3	श्री अमित कुमार मीणा	उपखण्डाधिकारी, डीग			7814908202
4	श्री जोगेन्द्र सिंह (अति. कार्यभार)	उपखण्ड अधिकारी, कामां	250496	250495	9079975380
5	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा	उपखण्ड अधिकारी नगर	243053	243034	9414321451
6	श्री जोगेन्द्र सिंह	उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी	258040		9079975380
7	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा (अति. कार्यभार)	उपखण्ड अधि० सीकरी			9414321451
तहसीलदार/नायब तहसीलदार					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्रीमती अंकित कुमार	तहसीलदार डीग			9461222561
2	श्री मुकेश कुमार गोयल	तहसीलदार कुम्हेर	240572		9257733207
3	श्री रामस्वरूप मीणा	तहसीलदार नगर	242053		9929870623
4	श्री धर्मसिंह (अति. कार्यभार)	तहसीलदार कामां	250018		9079716460
5	श्री धर्मसिंह	तहसीलदार पहाड़ी	258030		9079716460
6	श्री इन्द्राज गुर्जर	तहसीलदार सीकरी			9602695826
7	श्री अशोक कुमार शर्मा	तहसील जुरहरा			9468658385
8	श्री सावंतराम मीना	तहसील जनूथर			9828212489
9	श्री राम सोगरवाल	तहसील राह			8094098448
10	श्री अंकित कुमार (अति. कार्यभार)	उपतहसील खोह			9461222561
11	श्री विजय गुप्ता	उपतहसील जालूकी			7568898949
12	श्री धर्मसिंह (अति. कार्यभार)	उपतहसील गोपालगढ			9079716460

जिला परिषद/पंचायत समिति					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			8005812873
2	श्री गोपाल सक्सेना	पंचायत समिति, डीग	220021		8239165921
3	श्री रामफल शर्मा	पंचायत समिति, कुम्हेर	240619		9414568217
4	श्री मुरारीलाल गौतम	पंचायत समिति, नगर	242039		9549841751
5	श्री विजय जैन	पंचायत समिति, कामां			9166020243
6	श्री वीरेन्द्र बुंदेल	पंचायत समिति, पहाड़ी			7023018041
नगरपरिषद					
क्र. सं.	नाम	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री निरंजन टकसालिया	सभापति			9460453575
2	श्री मनोहर शर्मा	उपसभापति			9785503979
3	श्री कुलदीप सिंह	आयुक्त नगर परिषद			9828101029
नगरपालिकाओं के अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी					
क्र. सं.	नगरपालिका	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	कुम्हेर (05644)	अध्यक्ष- श्री राजीव सिंघल	240540	240144	9414484041
		उपाध्यक्ष- श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा			9772948844
		अधि.अधि.- श्री रविन्द्र सिंह	240540	—	9413915706

2	कामां (05640)	अध्यक्ष—श्रीमती गीता देवी	250386	—	9413592403
		उपाध्यक्ष—श्री ओमप्रकाश मीणा			9772121314
		अधि.अधि.— श्री नटवर बसवाल	250386		9694320007
3	नगर (05641)	अध्यक्ष—श्री राम अवतार	242062		9828941696
		उपाध्यक्ष— श्री प्रकाश कुमार			9414040899
		अधि.अधि— श्री हरिओम गुर्जर	242062	—	9166248953
4	सीकरी	अध्यक्ष—			
		उपाध्यक्ष—			
		अधि.अधि— श्री हरिओम गुर्जर			9166248953
5	पहाडी	अध्यक्ष—			
		उपाध्यक्ष—			
		अधि.अधि— श्री राजकुमार			7665758510
बाल विकास परियोजना अधिकारी					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्रीमती इंदु सक्सैना	डीग			9414320256
2	श्री महेन्द्र अवस्थी	कुम्हेर			9413113435
3		नगर			
4		कामां			
5		पहाडी			
पुलिस विभाग					

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्रीमती प्रीति चंद्रा	महानिरीक्षक, पुलिस	222859 231422 फ़ै.	223349	9829177771
2	श्री कांबले शरण गोपीनाथ	जिला पुलिस अधीक्षक डीग	294500		8660046123
3	श्री अकलेश शर्मा	।ककणैण्ण डीग			9414361876
4	श्री दिनेश यादव	।ककणैण्ण कामवन			9929228716
5	श्री सीताराम बैरवा	ब डीग			9680406626
6	श्री रामनाथ सिंह	ब नगर			9414541390
7	श्री राजेश शर्मा	ब कामा			6375264119
8	श्री अमर सिंह	ब पहाडी			9783828013
9	श्री हीरालाल मीणा	ब कोतवाली डीग			9783039432
10	श्री वीरेन्द्र	ब सदर थाना डीग			9982461162
11	श्री सुनील कुमार	ब कामां			9460137351
12	श्री जितेन्द्र सिंह	ब कुम्हेर			7023696379
13	श्री लाखन सिंह	ब नगर	242020		7014818635
14	श्री योगेन्द्र सिंह	ब पहाडी			9694032752
15	श्री रामनरेश मीना	ब गोपालगढ			9414406283
16	श्री ताराचंद शर्मा	ब कैथवाडा			9079675136
17	श्री विजय सिंह मीना	ब जुरहरा			9928385868
18	श्री मुकेश कुमार	ब सीकरी			8890030716
19	श्री शिवलहरी मीना	ब खोह			9950855089
20	श्री रामभरोसी मीना	ब जनूथर			7568661026

21	श्री मनीराम	१८ जालूकी			9414067297
जेल विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री विकास बागोरिया	उप कारागार डीग			9829476751
परिवहन विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री राधेश्याम शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी, डीग			7976277230
2	श्रीमती कलमीराम मीणा	परिवहन निरीक्षक			9414808001
रोडवेज विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	अतरसिंह	चीफ मैनेजर(लोहागढ)	260277		9549653193
2		चीफ मैनेजर (भरतपुर)	260289		
आबकारी विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री नमोनारायण मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर	225477	236053	9828961850
2	श्री	आबकारी निरीक्षक वृत्त डीग			
उद्योग विभाग					

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री दिलखुश मीणा	महाप्रबंधक	222422	223601	8440991162
2	श्री नरेश कुमार वर्मा	रीजनल मैनेजर, रीको	222881	222981	9414061906
कृषि/उद्यान विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	डॉ उदयभान सिंह	डीन, कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर			9414714234
2	श्री रामकंवर जाट	संयुक्त निदेशक, कृषि			9414408704
वाणिज्यकर विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1		वाणिज्य कर अधिकारी			
सार्वजनिक निर्माण विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री पवन सोलंकी	अधीक्षण अभिन्ता	224044	—	9414946891
2	श्री नरसीराम	अधिशायी अभियन्ता, डीग	224044	—	9982174871
3	श्री गोविन्द मीणा	अधिशायी अभियन्ता, नगर			7073151420
4	श्री सौरभ	अधि०अभियन्ता, कामां			9462775863
5	श्री गोविन्द मीणा	परियोजना निदेशक, बृज चौरासी	7300298611		7073151420
6	श्री हरीराम मीणा	चक्क छभा दौसा	01427-224918		7023817567

7	श्री ए०के० जैन	चक्र छम्प जयपुर			9351784598
जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1		अति० मुख्य अभियन्ता (भरतपुर)	222731	223050	
2	श्री शिव दयाल मीणा	अधीक्षण अभियन्ता	220180	220190	9414960906
3	श्री रुद्रप्रताप सिंह	अधिशायी अभियन्ता डीग	220180	220190	9667772421
4	श्री रघुवीर सिंह गुर्जर	अधिशायी अभियन्ता कामां			8440999510
5	श्री भानूप्रताप सिंह	अधिशायी अभियन्ता नगर			9460114395
5	श्री आर०पी०शर्मा	अधिशायी अभियन्ता भू-जल (अलवर)			9829828616
6	श्री आर०पी०शर्मा	सी० हाईड्रोलोजिस्ट भू-जल (अलवर)			9829828616
चम्बल प्रोजेक्ट					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री हरिकृष्ण अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता			9982687390
2	श्री सिद्धार्थ फौजदार	अधि० अभि० चम्बल प्रोजेक्ट-१ जेजेएम	232423	227594	9664302033
3	श्री आलोक	अधि०अभि० चम्बल प्रोजेक्ट-१			9414305999
जल संसाधन विभाग					
क्र.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		

सं.			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री बनैसिंह	अधीक्षण अभि० 200214(का०)	222552	222572	9414282868
2	श्री नीरज कुमार	अधिशायी अभियन्ता 200212	222532	222540	9785370872
3	श्री खेमचन्द	अधि. अभि. क्वालिटी कन्ट्रोल	7976381794		8239510855
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री आर.के. जूनवाल	अति० मुख्य अभियन्ता (भरतपुर)	236009		9414018103
2	श्री बी.एल. वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता			8949946844
3	श्री रामहंस मीणा	अधिशायी अभियन्ता, डीग	220476	220246	9413390688
4	श्री उधम सिंह यादव	अधिशायी अभियन्ता, कामां	6350080409		9413383365
5	श्री चन्द्रेश शर्मा	अधिशायी अभियन्ता, नगर			9413389070
तैय्य					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री लक्ष्मण सिंह	अधिशायी अभियन्ता भरतपुर	7976648914	220143	9414955960
तैय्य					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल

1	श्री पंकज मोडगिल	एक्सईएन रिडकोर			9878801013
खनिज विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री केसी गोयल	एमई, माइन्स			9414035584
2	श्री खेतन प्रकाश	एएमई, माइन्स			8949901381
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री उमेश कुमार	आर.ओ. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	228114		9509508226
पुरातत्व विभाग					
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री विनय गुप्ता	अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग			9456053192
2	श्री मनोज द्विवेदी	उपाधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग			8890949232
3	श्री हरमन	संरक्षक सहायक, डीग जलमहल			8302311690
4	श्री मोहनलाल भगोरा	संग्रहालय प्रभारी, डीग जलमहल			9929248972
5	श्री नीरज त्रिपाठी	अधीक्षक, पुरातत्व विभाग (राज्य)			9887722199